# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण



शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८।

---

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बजकर १ मिनट म. पू. पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

---

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रश्न संख्या २९६

**श्री अध्यक्ष :** रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

### दैनिक पत्रों के सम्पादकों की आवभगत

**२९७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :** Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that some time the Director of Public Relations took the Editors of 'Times of India' and 'Navbharat Times', two dailies from Delhi on a tour of border areas at Govt. cost and allowed them to take pictures of important strategic positions in that area ?

(b) What expenditure has been incurred by the Govt. on this tour arranged by the Director and what advantage the State has derived from this venture and subequent publicity ?

**गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :** (a) The Director of Public Relations took the two Editors at only two points of the border area at the time of their visit to various parts of the State. A visit of the 'Times of India' special Representative to our borderareas, was however, arranged by the Director, Public Relations in consulation with the Government and the Inspector General of Police The representative visited the area under the guidance of the local officers.

**श्री पी. के. चौधरी :** Can't hear clearly.

**श्री रामकिशोर व्यास :** I will read once again. The Director of Public. Relations took the two Editors at only two points of the border area at the time of their visit to various parts of the State. A visit of the 'Times of India' special Representative to our border areas was however, arranged by the Director, Public Relations in consultation with the Government and the Inspector General of

# Page No.2



( श्री रामकिशोर व्यास )

Police. The Representative visited the areas under the guidance of the local police officers and took photographs wherever allowed by them.

(b) The Government had spent nothing on the visit of the Representative except arranging certain usual facilities. The Government is of the opinion that the 'Times of India' has not revealed anything which may be considered of secret nature.

**श्री पी. के. चौधरी :** Why the Editors were taken to the border areas ? What was the purpose of the visit ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** They wanted to see the conditions.

**श्री पी. के. चौधरी :** Who wanted; the Government or the Newspaper Editors ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** Editors wanted.

**श्री पी. के. चौधरी :** Is it the policy of the Government to show border areas to the Editors ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** No. लेकिन उसमें कोई नुकसान की बात नहीं थी।

**श्री पी. के. चौधरी :** Is the Government in the know that pictures taken by these people were given wide publicity in daily papers ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** जो बात ओपिन है, वे उसमें आई हैं।

**श्री पी. के. चौधरी :** Is the Government aware that they have given a clear picture of border arrangements there ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है। जो सीक्रेट नहीं है वह उसमें दिया गया है।

**श्री पी. के. चौधरी :** Does the Government think that it is proper to expose our border arrangements to the public like this ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** But what is the advantage they gained out of it ? It is a general practice that people come here, they see and study the problem.

**श्री अध्यक्ष :** There are certain aspects which should need publicity. Everything cannot be of the secret nature. The things of vital nature were not shown to them.

**श्री रामकिशोर व्यास :** Nothing of the arrangements. They only visited the area.

**श्री श्रीभानसिंह :** Did the Government know about the publication of photographs taken by these representatives on their visit to two districts of Rajasthan ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** They have their own ideas.

**श्री श्रीभानसिंह :** These photographs which were published; the

# Page No.3



( श्री श्रीभानसिंह )

Government want to place the points which were......

**श्री पी. के. चोधरी** : The Editor of the Blitz also desires to visit the border areas, will the Government arrange for him.

**श्री अध्यक्ष** : Next.

**इन्सपेक्टर तथा सहायक इन्सपेक्टर, सहकारी विभाग**

**२६८. श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे कितने इन्सपेक्टर्स तथा सहायक इन्सपेक्टर्स हैं जो अपने डिविज़न व जिले के बाहर नियुक्त हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) इनको अपने जिले में स्थानान्तरित करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

**उप सहकारी मन्त्री** (श्री दौलतराम) :

| (क) | जिले के बाहर | डिविज़न के बाहर |
|---|---|---|
| निरीक्षक (एग्ज़ीक्यूटिव) | ५७ | २५ |
| निरीक्षक ( ऑडिट ) | ४५ | २४ |
| सहायक निरीक्षक | ६७ | ४६ |

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जहां तक सम्भव होता है निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को उनके निवास स्थान के जिले एवं डिविज़न में रखने का प्रयास किया जाता है, किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार कभी कभी जिले के बाहर भी स्थानान्तरण करना आवश्यक हो जाता है ।

(सूची अनुपलब्ध)

**श्री तेजाराम गहलोत** : क्या यह सरकार की डेफीनेट पॉलिसी है कि इन्सपेक्टर्स और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को अपने जिले में रखा जाय ?

**श्री दौलतराम** : मैंने उत्तर दे दिया है ।

**श्री तेजाराम** : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से जहां तक होता है स्थानान्तरित नहीं किया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से एक सक्युलर निकला हुआ है कि २५० रु० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट और डिविज़न से बाहर नहीं भेजा जायगा ?

**श्री दौलतराम** : मैंने कहा कि प्रयास किया जाता है ।

**डा. चन्द्रकला** : प्रशासनिक कारणों के अलावा दूसरे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर कर्मचारियों का ट्रान्सफर होता है ?

**श्री दौलतराम** : केवल प्रशासनिक कारण होते हैं ।

**श्री तेजाराम** : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि ३१—१—५८ को तीन इन्सपेक्टर्स को जयपुर डिविज़न सेबीकानेर डिवीज़न में ट्रान्सफर किया गया है, उसका क्या कारण है ?

**श्री दौलतराम** : यह अलग से प्रश्न है, इसकी जानकारी अलग से दी जा सकती है ।

**श्री तेजाराम गहलोत** : माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि यह सूची तैयार है कि

( श्री तेजाराम )

एक डिविजन से दूसरे डिविजन में कितने इन्सपेक्टर्स और एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को भेजा गया। यह प्रश्न उससे सम्बन्धित है।

**श्री दौलतराम :** मेरे पास नामों की सूची है, आप कारण पूछ रहे हैं, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री जनार्दनराय नागर :** प्रशासनिक कारणों से गवर्नमेंट का क्या मतलब है? प्रशासनिक कारणों में तो सब बातें आ जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष :** इसीलिये कहा है।

**श्री दौलतराम :** प्रशासन में सब आ जाते हैं।

**श्री श्रीभानसिंह :** जिन इन्सपेक्टरों का ट्रान्सफर किया जाता है, उनके अलावा हरएक की सूची गवर्नमेंट के पास नहीं है?

**श्री दौलतराम :** जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** डा० चन्द्रकला।

**प्रारम्भिक व माध्यमिक पाठशालायें**

**२६६. डॉक्टर चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बनी पार्क क्षेत्र में कुल कितने सरकारी प्राईमरी व मिडिल स्कूल हैं?

(ख) कितनी आबादी में एक प्राईमरी और एक मिडिल स्कूल चलाने की सरकार की योजना है?

(ग) क्या सिन्धी कालोनी में एक प्राईवेट मिडिल स्कूल चलता है? उसमें कितने लड़के हैं? स्कूल का वार्षिक खर्च क्या है?

(घ) सरकार की ओर से अब तक उक्त स्कूल को ग्रान्ट इन एड क्यों नहीं दिया गया? उसे कब से सरकारी सहायता प्राप्त होने लगेगी?

**उप शिक्षा मन्त्री** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) चार सरकारी प्राईमरी स्कूल हैं।

(ख) प्राईमरी स्कूल के लिये कम से कम ५०० तथा मिडिल स्कूल के लिये कम से कम ५००० की आबादी होनी चाहिये। इसके अलावा भवन की सुविधा, छात्र संख्या इत्यादि बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

(ग) जी हां, उसमें २६६ छात्र हैं तथा स्कूल का वार्षिक खर्च ५३४८.४३ नये पैसे हैं।

(घ) जिन जिन स्कूलों ने इसके लिए आवेदन पत्र दिये हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

**डॉ० चन्द्रकला :** क्या इस क्षेत्र में कोई मिडिल स्कूल है?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इसका जवाब आ गया है। आपने जिसके लिए पूछा है, वह बता दिया है कि चार प्राईमरी स्कूल हैं। मिडिल स्कूल के बारे में नहीं पूछा।

**डॉ० चन्द्रकला :** मैंने पूछा है कि क्या सिन्धी कालोनी में एक प्राईवेट मिडिल स्कूल चलता है? क्या उसने ग्रान्ट इन एड के लिए एप्लाई किया था?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसका उत्तर 'घ' में दे दिया है।

**डॉ० चन्द्रकला** : आपने जिन जिन स्कूलों ने इसके लिए आवेदन पत्र दिये हैं, उनके लिए कहा है। इस मिडिल स्कूल के बारे में स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जिन जिन स्कूलों ने आवेदन पत्र दिये हैं, उनके ऊपर विचार किया जा रहा है।

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन स्कूलों का सवाल नहीं है, सिन्धी कालोनी में जो मिडिल स्कूल हैं, उसके लिए मैंने पूछा है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आपने पूछा है कि सरकार की ओर अब तक उक्त स्कूल को ग्रान्ट इन एड क्यों नहीं दिया गया ? उसे कब से सरकारी सहायता प्राप्त होने लगेगी ? यह पूछा है, इसका जवाब दे दिया है कि जिन जिन स्कूलों ने इसके लिए आवेदन पत्र दिये हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

**डॉ० चन्द्रकला** : किन किन स्कूलों ने आवेदन पत्र दिये हैं, क्या इस स्कूल की अर्जी आ गई है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसकी आ गई है।

**डॉ० चन्द्रकला** : इस स्कूल को ग्रान्ट इन एड कब से मिलने लगेगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ग्रान्ट इन एड के लिए कई कन्डीशन्स होती हैं, संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक साल तक अच्छी तरह से काम करें, उसके बाद अगर प्रार्थना पत्र दें, तो उसे ग्रान्ट इन एड देना है या नहीं, इसके लिये विचार होता है।

**डॉ० चन्द्रकला** : इस स्कूल की अर्जी कब आई, उस पर कब विचार किया गया और क्या विचार में ये शर्तें सही नहीं पाई गई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : इसके लिए एक ग्रान्ट इन एड कमेटी बनाई हुई है, वह विचार करके निर्णय करेगी।

**डॉ० चन्द्रकला** : लेकिन इस स्कूल को दरख्वास्त दिये हुए काफी दिन हो गये हैं, शर्तें पूरी की जा चुकी है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अन्य जो संस्थायें होती हैं, उनके साथ ही इस संस्था पर विचार किया जायगा। यह एक संस्था ही नहीं है।

### माध्यमिक पाठशाला

३००. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम राहूवास, तहसील लालसोट की जनता की तरफ से मिडिल स्कूल के लिए सरकार से पांच छः साल से पत्र व्यवहार हो रहा है ?

(२) क्या सरकार का वहां मिडिल स्कूल खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग से एक पत्र का पिछले साल जवाब दिया गया था कि अगले साल मिडिल स्कूल खोल दिया जावेगा ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) यदि हां, तो मिडिल स्कूल खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

**उप शिक्षा मन्त्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) यदि छात्र संख्या पर्याप्त हुई और भवन की सुविधा जनता की ओर से प्रदान की गई तो आगामी वर्ष अन्य स्कूलों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकता है।

(३) जी हां।

(४) छात्र संख्या पर्याप्त नहीं है और न ही मिडिल स्कूल खोलने के लिए योग्य भवन ही उपलब्ध है। इस समय इस स्कूल में कुल ४३ छात्र ही पढ़ रहे हैं।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : भवन की व्यवस्था करने के बाद में क्या स्कूल खोल दिया जायगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : भवन की सुविधा हो, छात्रों की पर्याप्त संख्या हो तो हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

**प्रश्न संख्या ३०१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

## मुल्तानी मिट्टी साफ करने के कारखाने की स्थापना

३०२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोलायत में मुल्तानी मिट्टी साफ करने के कारखाने की स्थापना के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) बीकानेर ग्लास फैक्ट्री जो १० वर्षों से बन्द है उसे चलाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

(३) पलाना लिग्नाइट खान के विकास के लिये सरकार की क्या योजना है और वह कब तक पूरी होगी ?

(४) फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की स्थापना हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

**उप उद्योग मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हैदराबाद की रीज़नल रिसर्च लेबोरेट्री में मुल्तानी मिट्टी को साफ करने के बड़े पैमाने पर परीक्षण हो रहे हैं। परीक्षण के नतीजों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में आगे कदम उठाया जायगा।

(२) बीकानेर ग्लास फैक्ट्री को पुनः चालू करने का प्रयास सरकार द्वारा कई बार किया गया है परन्तु फैक्ट्री की आर्थिक स्थिति बड़ी जटिल है और अभी तक किये गये सारे प्रयास उसी कारण असफल रहे हैं फिर भी प्रयास चालू हैं और ज्योंही आर्थिक कठिनाई का कोई हल नज़र आयगा तो सरकार फैक्ट्री को पुनः चालू करा सकेगी।

(३) पलाना लिग्नाइट खान के विकास के लिये राज्य सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ बुलाने के बारे में भारत सरकार को लिख चुकी है। यह विशेषज्ञ पलाना खान का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायेंगे। ये विशेषज्ञ अभी तक नहीं आ पाये हैं। भारत सरकार का ध्यान इस ओर उनकी धीमी प्रगति पर आकृष्ट किया जा चुका है।

(४) पहले तो भारत सरकार सिद्धांततया उसी निश्चय पर थी कि सरकारी क्षेत्र

# Page No.7



(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(पब्लिक सेक्टर) में ही खाद का कारखाना खोला जावे परन्तु जनवरी, ५८ से भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन की घोषणा की है और इस नीति के अनुसार २–३ खाद निर्माण करने के कारखाने निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में भी खोलने की स्वीकृति दी जायगी। इस घोषणा के पश्चात् तत्क्षण ही राजस्थान सरकार ने इस कार्य को हाथ में लेने की क्षमता वाली पार्टियों से बातचीत चालू कर दी है जो अभी भी जारी है।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने प्राइवेट सेक्टर में खाद का कारखाना खोलने पर बान इम्पोज़ किया है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : पहले तो पब्लिक सेक्टर में ही खाद का कारखाना खोलने का था परन्तु अब भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी कारखाना खोलने की इजाजत दे दी है।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या पब्लिक सेक्टर में सरकार नहीं खोलना चाहती ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह बात नहीं है, खोला जा सकता है, परन्तु इसमें यह जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में ही खोला जाय।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या प्राइवेट सेक्टर में ही खोला जाय, यह जरूरी है ?

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : Not at all, जी ऐसा बिलकुल नहीं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : बीकानेर ग्लास फैक्ट्री को चालू करने में क्या दिक्कत है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : सबसे बड़ी तो अर्थाभाव की दिक्कत है, उनमें आपस में झगड़ा है, उसको निबटाने की कोशिश की गई पर असफलता रही, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको चला सकें, इसलिये चला नहीं सकते हैं। किसी फैक्टरी को चालू करने में सहायता दी जा सकती है तो गवर्नमेंट देती है पर उनका आपस में झगड़ा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या इसको चलाने के सम्बन्ध में कुछ लोगों के आपके पास कुछ प्रोपोज़ल्स आये थे कि इलेक्ट्रिक के सम्बन्ध में जो पुराना बकाया लेने की दिक्कत है, उसको निबटा दें तो इसे वे वापिस चालू करने को तैयार हैं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या मंघाराम एन्ड कम्पनी के मालिक ने इस प्रकार की दरख्वास्त दी थी कि १०–२० हजार रुपया बिजली के खर्च का उनमें बकाया है, इस मामले को किसी तरह सुलझाया जाय तो इस फैक्टरी को वापिस चालू किया जा सकता है, इस प्रकार की सूचना आपको दी थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मंघाराम की दरखास्त जरूर आई थी, पर मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि किन किन चीज़ों की मांग थी ?

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या सरकार के पास कोलम्बो योजना के सिवाय और कोई दूसरी योजना है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी नहीं। कोलम्बो प्लान के तहत भारत सरकार से मांग की गई है कि विशेषज्ञ बुलायें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिये कन्सलटेन्ट फर्म बत-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लावें; इसकी बात-चीत चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पूछा था कि क्या हम पूरा खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिख दिया गया है कि हम पूरा खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्राइवेट सेक्टर में ग्लास फैक्टरी के चलाने में दिक्कत है तो क्या सरकार स्वयं उस फैक्टरी को चलाने की सोच सकती है?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## सरकारी विज्ञापन हेतु स्वीकृत समाचार-पत्र

**३०३. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने दैनिक साप्ताहिक व मासिक पत्र हैं जो सरकारी विज्ञापन के लिए स्वीकृत हैं?

(२) इन पत्रों में कितने और कौन कौन से पत्र ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के सदस्य हैं?

(३) क्या यह सही है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के सदस्य पत्रों को दूसरे पत्रों की अपेक्षा कम विज्ञापन दिया गया है?

**गृह मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास): (१) राजस्थान में सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या ७४ है।

(२) इन पत्रों में से केवल चार पत्र ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के सदस्य हैं।

(३) जहां तक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के सदस्य दैनिक पत्रों का सम्बन्ध है, यह सही नहीं है। इन पत्रों को और सब पत्रों से अधिक विज्ञापन दिये गये हैं। सदस्य पत्रों में एक साप्ताहिक भी है। यह पत्र (अमर ज्योति) अभी हाल में ब्यूरो का सदस्य हुआ है। इसे पिछले दिनों एक दो गैर सदस्य पत्रों से कम विज्ञापन मिले हैं।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : कितने हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने बताया है कि ७४ लिस्ट में हैं।

### प्रश्न संख्या ३०४

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

## संचालक, निष्क्रमणक सम्पति, द्वारा स्कूल भवनों की अवाप्ति

**३०५. श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Cheif Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that in the past Government decided to aquire all School Buildings which are owned by the Custodian of Evacuee proporty? If so, how many School buildings have so far been acquired?

(b) When does the Government propose to acquire from the Custodian of Evacuee Property the Primary School Building at Dhani Karigaron, Phulera?

**उप पुनःस्थापन मन्त्री** (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्राइमरी स्कूल भवन ढानी कारीगरां, फुलेरा को लेने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन रीज़िनल सेटिलमेंटकमिश्नर से उत्तर मिला कि भवन नीलाम किया जावेगा, उस समय बोली लगा कर ले सकते हैं, या भारत सरकार से सीधी बात चीत करके तय किया जावे।

**श्री पी० के० चौधरी** : भारत सरकार से बात चीत करने का प्रयत्न किया है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी नहीं।

**श्री पी. के. चौधरी** : कब करेंगे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जरूरी नहीं, केवल साढ़े तीन रुपया माहवार का सवाल है।

**श्री पी. के. चौधरी** : तो क्या बोली लगायेगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : देख लेंगे, अगर ठीक कीमत पर मिल जायगा तो बोली लगा देंगे।

**श्री पी. के. चौधरी** : मेरे ख्याल से भारत सरकार से बातचीत करना ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आपने जो सुझाव दिया है उसका ध्यान रखूंगा।

### प्रश्न संख्या ३०६

**श्री अध्यक्ष** : श्री बहादुरसिंह।
(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

### सड़क निर्माण

३०७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सीकर जिले में कितनी सड़कों के निर्माण की योजना थी ?

(ख) उनमें से कितनी पूरी हुई और जो नहीं हुई वे क्यों नहीं हुई ?

**निर्माण मंत्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) :
(क) १३ सड़कों पर काम शुरू करने की, जिसमें से ६ सड़कों पर काम पूरा करने की।

(ख) २ सड़कें। रेतीला क्षेत्र, पानी और कंकर पत्थर इत्यादि मिलने में कठिनाई, एलाइनमेंट एकीकरण में परिवर्तन, भूमि उपलब्ध न होना, ठेकेदारों की सुस्ती, रोलरों का अभाव आदि आदि कारणों से।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जयपुर से सीकर जाने वाली सड़क की पूर्ति किस कारण से नहीं हुई और इसका कौनसा भाग अधूरा रहा है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अब तो चार, पांच मील ही रही है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : ठेकेदार कौन थे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ठेकेदारों के नाम मुझे याद नहीं हैं, अब यह दो तीन महीनों में पूरी हो जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री पी. के. चौधरी।

### संचालक, जन सम्पर्क विभाग द्वारा पुस्तकों का एकाधिकार प्रबन्ध

३०८ **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-Charge of Public Relations be pleased to state:-

# Page No.10



(श्री पी० के० चौधरी)

(a) Is it correct that the efforts of the Director, Public Relations for monopoly arrangement with the Government of India for sale of their publications to the State Government and other educational departments and Institutions had proved to be abortive ?

(b) Is it also correct that the cost of Government of India publications sold so far by the Directorate amounts to about Rs. 1,00,000/- and there is no provisions in the budget for the payment of this amount to Government of India ?

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) :

(a) The Director of Public Relations arranges for the purchase of the publications issued only by the Ministry of Information & Broadcasting of the Govt. of India and not by all the Ministries and branches of Central Government and there is nothing to show that this work has not been satisfactorily done.

(b) The total cost of the publictions so far sold is being worked out in consultation with the Government of India. It is estimated to be about Rs. 60,000/-. As the Directorate arranges the sale and purchase on behalf of other departments, no provision has been made in its budget for this purpose. The respective departments are billed for the purchases made by them and the money received is credited to the Government account. The method of payment to the Government of India is under consideration.

**श्री पी. के. चौधरी** : All the purchares are over a year old and the Government of India representative comes here and no money is paid.

**श्री रामकिशोर व्यास** : अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट की बात है इसमें क्या तकलीफ हो रही है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## कन्या पाठशाला, सीकर

३०६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सीकर की कन्या पाठशाला के कर्मचारियों के फिक्सेशन की स्वीकृति डिप्टी अकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से ७-५-१९५७ को हो गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या पाठशाला की अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों को निश्चित ग्रेड दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिये जाने की आशा है ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द) : (१) जी नहीं । ७-१-५८ को हुई है और विभाग में २२-१-५८ को प्राप्त हुई ।

(२) निश्चित ग्रेड देने के संबन्ध में संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक सूचना दे दी गई है ।

# Page No.11



**श्री जगदीशप्रसाद** : स्कूल में काम करने वाले मोटर ड्राइवर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है ?

**श्री पूनमचन्द** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री जगदीशप्रसाद** : यह अलग से प्रश्न नहीं है, वे भी तो कर्मचारी हैं ?

**श्री पूनमचन्द** : इसमें तो टीचर्स का ही है।

**श्री जगदीश प्रसाद** : मैं यह कहूंगा कि जब वे लोग भी उस स्कूल में नौकरी करते हैं तो उनका फिक्सेशन भी उन्हीं के साथ होना चाहिए। वह क्यों नहीं हो रहा है?

**श्री पूनमचन्द** : यह उत्तर टीचर्स के लिए ही है। पियोन्स और ड्राइवर्स अलग चीज़ हैं, अगर आप इसके लिए अलग पूछते तो जवाब दिया जाता।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ३१०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण वर्मा।

## पुल निर्माण

३११. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम आलनिया, तहसील लाड़पुरा में नदी पर पुल बनाये जाने की स्वीकृति कितने रुपयों की हुई थी, इसका ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया था तथा इसकी लम्बाई कितनी निर्धारित की गई थी ?

(ख) क्या पुल उतनी ही लम्बाई का तैयार किया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) १,६०,००० रु० का, ठेका श्री बस्तीराम को १,२१,६८३ रु० में दिया गया था।

(ख) ४४० फुट।

(ग) जी नहीं। लगभग १०० फुट अधिक।

(घ) आवश्यकतानुसार तैयार कराया गया।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ३१२**

डा. बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

## लघु सिंचाई योजना

३१३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या पाली तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई काम इस वर्ष लिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या २ और कहां कहां ?

**उप सिंचाई मन्त्री** (श्री भीखाभाई) : नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## जिला झालावाड़ में सूलिया-आहू नदी–सड़क निर्माण

३१४. **श्री रामचंद्र** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री रामचन्द्र)

(१) क्या यह सच है कि झालावाड़ में भवानी मंडी सड़क पर सूनिया गांव से आहू नदी तक ६ मील लम्बे टुकड़े की सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ हुए तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं, किन्तु यह सड़क अभी तक नहीं बनी है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब यह सड़क कब तक बन जावेगी ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सच है ।

(२) ठेकेदार की सुस्ती ।

(३) सितम्बर, १९५८ तक बनाने की आशा है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## शिक्षा संस्थाओं की कार्य निपुणता

३१५. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजकीय शिक्षा संस्थाओं के काम की एफीशियेन्सी जांचने का क्या मापदन्ड निश्चित किया गया है ?

(ख) क्या प्रतिवर्ष इनके कार्य की एफीशियेन्सी की जांच की जाती है ?

(ग) यदि हां, तो कैसे ? सन् १९५६–५७ में राजकीय हाईस्कूलों, इन्टर कॉलेजों तथा बी. ए. अथवा बी. एस. सी. की वार्षिक परीक्षाओं में कितने-कितने छात्र सम्मिलित हुए और कितने-कितने छात्र उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक परीक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(क) उनकी वार्षिक परीक्षा परिणामों तथा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट द्वारा उनकी एफीशियेन्सी जांची जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग)

| | सम्मिलित हुये | उत्तीर्ण हुये | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| हाई स्कूल परीक्षा में | १२२०६ | ६७६३ | ७१·७ |
| इन्टर में | ४४१४ | २१४३ | ४८·५ |
| बी. ए. में | ८४९ | ४४० | ५० |
| बी. एस सी. | ३९९ | २४४ | ६१·२ |

**श्री रामचन्द्र** : क्या सरकार इस प्रोग्रेस को सेटिसफेक्ट्री समझती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : बिलकुल सेटिसफेक्ट्री हो, ऐसी बात तो नहीं है।

**श्री रामचन्द्र** : क्या और अधिक प्रोग्रेस के लिए सरकार प्रयास करेगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इसके लिये प्रयास जारी है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## दीर्घ और लघु सिंचाई कार्य

३१६. श्री **श्रीभानसिंह**—( बयाना )–: Will the Minister for Irrigation de pleased to answer :

(1) Has a survey for major and minor Irrigation works been made in Bayana Tehsil specially near the villages Khori, Tarsuma and Bajna of Bharatpur District ?

(2) If not, will the Govt' order now to explore the possibilities of such works, specially small bunds ?

# Page No.13



**उप सिंचाई मन्त्री** ( श्री भीखाभाई ) :

(1) Yes. Preliminary surveys of Bayana Tehsil including the villages Khori, Tarsuma and Bajna have been carried out.

(2) The question does not arise.

**श्री श्रीमानसिंह** : What was the probable estimated cost of these constructions ?

**श्री भीखाभाई** : As I have said just now, preliminary surveys have been conducted and the finae surveys are yet to be carried out, but the preliminary survey reveals that projects or constructions are un-remunerative.

**श्री अध्यक्ष** : Next.

**बस सर्विस (त० आमेर से आगे तक)**

३१७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील आमेर, जिला जयपुर की जनता की सुविधा हेतु कुछ बसें चौमू से हाड़ोता, उदयपुरिया, इटावा, भावजी होती हुई आगे तक चलाई गई थीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या वे बसें अब रोक दी गई हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा जनता की सुविधा हेतु, सरकार द्वारा फिर से बसें चलाने का इन्तजाम कब तक कर दिया जायेगा ?

**यातायात मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : कहां। एक अस्थाई परमिट आर. टी. ए. जयपुर द्वारा दिया गया था।

(ख) आर. टी. ए. जयपुर के उपरोक्त फैसले के खिलाफ जयपुर–सीकर मार्ग के मोटर चालकों की प्रार्थना पर एस. टी. ए. (अपीलैंट ट्रिब्यूनल) द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, अतः बस बन्द कर दी गई है।

(ग) जयपुर सीकर मार्ग के चालकों की अपील, जो अपीलेट ट्रिब्युनल के विचाराधीन है, का फैसला होने पर आगे कार्यवाही संभव होगी।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : सर्व प्रथम परमिट किस तारीख को दिया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : जिस समय परमिट दिया गया तो उस समय यह नहीं सोचा गया कि इसको बंद किया जायगा, जब दिया गया तो बन्द क्यों किया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह तो सोच-समझ कर ही करते हैं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : स्टे ऑर्डर किस तारीख को दिया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तारीख मेरे पास नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : इससे जो जनता को असुविधा हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है या नहीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उसकी जिम्मेदारी कतई सरकार की नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** : जब सरकार की नहीं तो किसकी है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मोटर बसें चलाने के लिये सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आते हैं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसका तसफ़िया होता है और उसकी अपील होती है।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री :** स्टे आॅर्डर कौन सी तारीख को दिया गया, यह आप बता दें।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** तारीख मेरे पास नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री :** अन्दाज से महीने ही बता दीजिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** अन्दाज से सवा दो महीने हुए होंगे।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** आपने स्टे आॅर्डर दे दिया, मगर फिर भी आप तारीख नहीं बता सकते?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** तारीख मेरे पास नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री :** अब बसें कब तक चालू कर दी जावेंगी? फैसला पब्लिक के हित के लिये करना है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। अपील में फैसला सीरियलवाइज़ होता है। एप्लीकेशन्स सीरियलवाइज़ लगती हैं।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री :** आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से आदमी इसके न होने से मर गये पैदल चलते चलते।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, यह एक जुडिशियल बोडी है।

**एक माननीय सदस्य :** कितने आदमी मर गये?

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री :** बहुत सारे चेचक से मर गये क्योंकि वे गांव में जा नहीं सके क्योंकि उनको मोटर नहीं मिलती थी। लोगों को हवाई जहाज मिलते हैं लेकिन हम गरीबों को मोटर नहीं मिलती है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** ठेकेदारों के आपस में झगड़े हैं आपको इसमें नहीं पड़ना ही अच्छा है।

**श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री :** किसी भी व्यक्ति की बस चले; चाहे कांग्रेस सदस्य की चलाए, पब्लिक को सुविधा मिले।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** ऐसे ठेकेदारों के वकील आते हैं वे ही इस प्रकार की दलीलें देते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

### देहाती स्कूलों में ग्रीष्मावकाश

**३९८. श्री भीमसेन** ( लूनकरनसर ) क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार राज्य के देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बजाय किसानों की सुविधानुसार (Seasonal vacation) दिये जाने के संबन्ध में कोई कदम उठा रही है?

**उप शिक्षा मन्त्री ( श्री पूनमचन्द ) :** शिक्षण संस्थाओं में ग्रीष्म अवकाश के अलावा १ माह का अवकाश जो दशहरा व दिवाली के अवसर पर दिया जाता है वह देहाती क्षेत्रों की स्कूलों में किसानों की सुविधानुसार ही दिया जाता है।

**श्री भीमसेन :** क्या यह सही है कि इस समय बच्चे बेकार बैठे रहते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी?

# Page No.15



**श्री पूनमचन्द** : हमने सब ठीक तरह से सोच लिया है और ग्रीष्म अवकाश और दशहरा अवकाश के अलावा दूसरी तरकीब बैठ नहीं सकती।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री श्रीभानसिंह।

### पारबती बांध, धौलपुर

३१६. **श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:-

( 1 ) When is the Parvati Dam in Dholpur Sub-Division to be completed ?

( 2 ) Is the construction work progressing within the scheduled time ? If not, why ?

**उप सिंचाई मन्त्री** (श्री भीखाभाई): The Parbati Dam in Dholpur is expected to be completed in the year 1959.

( 2 ) The progress of work has been some what slower than anticipated due to the death of earth work Contractor, unexpected increase in quantity of foundation, rock cutting and difficulty in obtaining sufficient kanker for preparing lime for masonry of the dam.

### सरदार समंद फार्म, जोधपुर

३२०. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( १ ) क्या सरदार समन्द का फार्म हिज़ हाईनेस, जोधपुर की पर्सनल प्रोपर्टी में है ?

( २ ) इस फार्म का क्षेत्रफल कितना है ?

( ३ ) क्या इस फार्म के अन्तर्गत कई लोग की काश्त की जमीनें आई हैं जिनका मुआवज़ा अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसका राजस्व मन्त्री अपने टर्न पर उत्तर देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

### बांध-निर्माण

३२१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नदी आड़ा पानी तहसील शाहबाद पर जो बांध बंधवाया गया था, वह पहली बरसात में ध्वंस हो गया ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप सिंचाई मंत्री** (श्री भीखाभाई) :

(१) सिंचाई विभाग द्वारा नदी आड़ा पानी पर कोई बांध नहीं बंधवाया गया है।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

### सीतावाड़ी (त० शाहबाद) क्षेत्र का विकास

३२२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में ) : क्या विकास

# Page No.16



(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सीतावाड़ी, तहसील शाहबाद में प्रतिवर्ष बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगाता है ?

(२) सरकार ने इस जंगली क्षेत्र के विकास के लिये अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(३) क्या सरकार इस क्षेत्र को और अधिक मनोहर बनाने का विचार रखती है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि यह माननीय देवस्थान मंत्री जी को रेफर हुआ है। वे इसका जवाब देंगे।

× × × ×

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**पाली बहुधंधी सहकारी समिति को ऋण**

३२३. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पाली बहुधंधी सहकारी समिति को १५,०००) रुपये का लोन मंजूर किया था ? यदि हां, तो कब किया गया था ?

(२) क्या इसका भुगतान हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**सहकारी मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पाली में बहुधंधी सहकारी समिति नाम की संस्था २६. ११. ५६ से पूर्व थी, जिसका नाम परिवर्तन करके अब पाली उत्पादक सहकारी समिति लि० रखा गया है। इस समिति को १६, ६२५) रु० का ऋण उद्योग विभाग से उप संचालक हाथ कर्घा संघ जयपुर द्वारा दिनांक २. ७. ५७ को स्वीकृत हुआ था, मगर महालेखा पाल के कुछ एतराज के कारण ऋण की रकम प्राप्त नहीं की जा सकी। अब पुनः १६, ६२५) रु० के ऋण का बिल उद्योग विभाग द्वारा सम्बधित समिति को भुगतान प्राप्त करने के लिए दे दिया गया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : रुपया समिति को कब तक मिल जावेगा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बिल दे ही दिया गया है तो रुपया मिल ही जावेगा।

**श्री श्रीभानसिंह** : What were the reasons for changing the name of the society ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सोसाइटी ने रिज़ोल्युशन पास किया था।

**श्री श्रीभानसिंह** : Has there been any change in the functions also ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बहुधन्धी पहले भी थी और अब भी है।

**श्री श्रीभानसिंह** : उत्पादक है। नाम के आगे उत्पादक जुड़ा हुआ है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पहले बहुधन्धी सहकारी समिति थी और अब उसको उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रख दिया गया है।

**एक माननीय सदस्य** : यह ऋण किस कार्य के लिए दिया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हाथ कर्घे का काम करने के लिए।

---

××××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से उक्त शब्द कार्य-विवरण में से हटाये गये।

श्री श्रीभानसिंह : Does the society undertake marketing also ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

## माध्यमिक पाठशाला पुस्तकालय

३२४. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य के मिडिल स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा के लिए वैभागिक अनुदान क्यों नहीं दिया जाता ?

(ख) क्या बच्चों द्वारा दी जाने वाली फीस जिससे कि स्कूलों में पुस्तकालय की पुस्तकें खरीदी जाती हैं, पर्याप्त होती हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (पूनमचन्द) :
(क) दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

## रूपबास में गन्ने की खेती के सुधार सम्बन्धी योजना

३२५. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

What steps have been taken by the Agricul ture office at Bharat pur toi mprove the cultivation of sugar-cane in the Rupbas Tehsil of Bharatpur District ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : Improved seed of sugar cane on subsidised rates of transportation was distributed.

Mid-season variety of sugarcane was introduced for the first time.

Ammonium sulphate and superphosphate were applied.

Fertiliser trials were laid out.

Plant protection measures were also undertaken.

श्री श्रीभानसिंह : How much seed was distributed during 1957 or in any year?

श्री नाथूराम मिर्धा : The figure is not available.

श्री श्रीभानसिंह : From where did the Government import the seed which was distributed in Rupbas Tehsil?

श्री नाथूराम मिर्धा : यू० पी० से मांगे थे।

श्री श्री भानसिंह : How much quantity you must have ordered from U. P. some quantity, which must have been distributed?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : किस बेसिस पर कहते हैं, माननीय अध्यक्ष ? किस बेसिस पर फिर सीड डिस्ट्रिब्यूट किया है ?

श्री अध्यक्ष : You mean that they were not distributed at all.

श्री श्रीभानसिंह : That is what I mean exactly, Sir, आप कहते हैं कि बांटे नहीं गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है। मैं कहता हूं कि बांटे गये। लेकिन किस इयर में बांटे गये, इसके फीगर्स मेरे पास अभी नहीं हैं। यदि सवाल पूछ लें तो ठीक है, बताया जायगा।

# Page No.18



**श्री श्रीभानसिंह** : कितने आदमियों को बांटे गये ?

**श्री नाथूराम मिर्धा**: मैंने कहा कि इस सम्बन्धी मेरे पास फीगर्स नहीं है कि आदमी कितने थे, कितने आदमियों को बांटे गये, तोल कितना था ।

**श्री श्रीभानसिंह** : But the whole trouble is that the seed was not distributed at all, and that is why they are not giving any information about the quantity.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं, बांटे गये थे । यह मैं आपको कह रहा हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मनोहर कोठारी ।

## गोवर्द्धन हाईस्कूल, नाथद्वारा

३२६. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने ऐसा कोई सक्यूलर निकाला कि जिसके अनुसार प्रोविडेन्ट फन्ड सरेन्डर करने की स्थिति में उनकी स्कूल की सम्पूर्ण सेवाओं को पेन्शन के लिए गिना जायेगा ? यदि हां, तो इसके अनुसार आज तक श्री गोवर्द्धन हाईस्कूल नाथद्वारा के किस किस अध्यापक को कितनी कितनी पेन्शन मिली ?

(२) क्या सरकार के पास उक्त स्कूल संबन्धी कोई केस पेन्डिंग है ?

(३) यदि हां, तो कितने समय से पेन्डिंग है और उनका निर्णय क्यों नहीं होता ?

(४) सरकार के पास स्कूल आने के पश्चात् अब तक कौन कौन ,अध्यापक रिटायर हुए हैं ?

**उप शिक्षा मंत्री** : (श्री पूनमचन्द विश्नोई) ; (१) इस विभाग से कोई ऐसा सक्यूलर नहीं निकला इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) जी हां ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) श्री अमृतलाल राय ।
श्री जनार्दन राय ।
सूबेदार देवकीनन्दन ।
श्री श्रीकृष्ण ।

## प्रश्न संख्या ३२७

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रीराम वासोतिया ।
(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

## राजस्थान कॉमर्स कॉलेज

३२८. **श्री ज्ञानचंद मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान कॉलेज ऑफ कॉमर्स अलग बनाने का क्या प्रयोजन था तथा इससे सरकार का कितना अधिक खर्च बढ़ा ।

(ख) क्या इससे विद्यार्थियों को कोई अधिक सुविधायें मिली हैं ?

(ग) सरकार उक्त कॉलेज के लिये भवन निर्माण हेतु क्या कर रही है ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (क)अच्छे अनुशासन को रखने के लिए तथा महाराजा कॉलेज में लड़कों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रख कर कॉमर्स कॉलेज को अलग करना आवश्यक हो गया था । इससे करीब ३८,००० रु० नान रेकरिंग तथा १०,००० रु० रेकरिंग का सालाना खर्चा बढ़ा ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जी हां।

(ग) इसके लिए १६५७-५८ में १,०० ०००) मंजूर किया गया था तथा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने गांधीनगर में जमीन देना मंजूर कर लिया है और उसके लिये डिमार्कशेन की कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा।

## लघु उद्योग

३२९. श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Will the minister for Industries be pleased to state :-

(a) Has the Government any plan to open small scale industries in the Second Five Year Plan ?

(b) If so, has the Government examined or intending to examine the locality of Todgarh and Masuda for starting a match Factory and a Cement Factory there in view of the availability of the required raw material in that area ?

(c) Was there any such scheme in this respect before ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) The State Government have no plan to start small scale industries themselves. They have plans to start Production-cum-Training Centres in several trades, Emporia and Sale Depots for Handicrafts and Handloom cloth, and schemes for the grant of loans and subsidies to Small Scale Industries.

(b) No.
(c) No.

## गंगा थियेटर, बीकानेर

३३०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर गंगा थियेटर कितने वर्षों से बन्द पड़ा है ? उसके द्वारा आज तक क्या आमदनी हुई ?

(२) क्या सरकार उसे चलाने की कोई योजना बना रही है ?

(३) उसमें कार्य करने वाले पुराने कर्मचारियों का अभी तक फिक्सेशन हुआ या नहीं।

दो के तो उत्तर आ चुके थे।

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं सब का ही उत्तर फिर से दे देता हूं।

(१) लगभग दो वर्ष से। ६००) रु०

(२) सरकार इस थियेटर को लीज़ पर देने के विषय में सोच रही है।

(३) मामला विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिक्सेशन का मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़े अर्से से। लीज़ पर देना है तो उन लोगों का क्या करना है। यह मामला चार-पांच महीने से करीब विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक यह हो जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी ही हो जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या कर्मचारियों को ही लीज़ पर दे दिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कर्मचारियों को लीज़ पर देने की व्यवस्था के लिए आप ही सोच सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Municipal Board, Bikaner, applied to the Government to teke over this Government theatre and run it on behalf of the Government ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी मेरी तो कोई जानकारी नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : If the Municipal Board applies to the Government, is the Government prapared to give it to the Municipal Board in order to increase its finances ?

श्री नाथूराम मिर्धा : The municipal Board also, if it gives the same amount of lease money to the Government as other bodies are prepared to give, can get it and we shall consider it.

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon. Entertainment Minister arrange with the Hon. Finance Minister to subsidize the Muoicipal Board to start this theatre ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No, we do not want that the Municipal Board should enter into this business and go into losses as the Government itself has gone.

प्रश्न संख्या ३३१

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल ।

## राजबाग (जोधपुर) में गोचरभूमि

३३२. श्री सूरजमल (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जोधपुर शहर के समीप ग्राम राजबाग में हरिजनों व पिछड़ी हुई जाति की नाड़ी के आस पास गोचर भूमि है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त गोचर भूमि को इमारती पट्टे में किसी व्यक्ति को अलॉट किया गया है ? यदि हां, तो किसको तथा किस कार्य के लिए पट्टा अलॉट किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से सम्बन्ध रखता है । इसका रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ही जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष : Next week.

(विराम)

Next

## राजनैतिक पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता

३३३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार ने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया है ?

(२) यदि हां, तो वह कब बना और कब से अमल में आया ?

(३) उक्त कानून के अनुसार सहायता प्राप्त करने के हेतु अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(४) सम्बन्धित आवेदन कर्ताओं में से किस २ जिले के किन २ पीड़ितों को कितनी २ सहायता प्रदान की गई है ?

# Page No.21



(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(५) क्या कुछ राजनैतिक पीड़ितों के संबन्धित पत्रादि सरकारी कार्यालयों व अदालतों से गायब हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको किस आधार पर सहायता दी जा सकती है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) हां।

(२) राजस्थान सरकार ने राजनैतिक पीड़ितो को सहायता देने के संबंध में राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम १६५६ बनाये हैं और ये नियम २६ मई सन् १६५६ से अमल में आये हैं ।

(३) नियम बनने के पश्चात् अब तक ८६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(४) सम्बन्धित आवेदन कर्ताओं में से निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, १६५६ के अन्तर्गत सहायता की गई है :

(१) कैप्टिन मथुराप्रसाद निवासी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ५०) रु० मासिक पेंशन ।

(२) श्री हरनाथ निवासी गंगानगर, १५ बीघा नहरी जमीन ।

(३) श्री ओंकारसिंह निवासी करौली जिला सवाई–माधोपुर ४०) रु० मासिक पेंशन !

(४) श्रीमती केवल कंवर बेवा श्री अभय मल जैन निवासी जोधपुर को बोनस व उस पर हुए ब्याज की वापसी की रकम २१८ रु० ४ आने ।

(५) श्री जेठाराम रांकावत निवासी जोधपुर २०) रु० मासिक पेंशन ।

(६) श्री हरचरण लाल निवासी अलवर की राजकीय सर्विस में पुनः नियुक्ति ।

(७) श्री हरिभाई किंकर निवासी सोजत डिस्ट्रिक्ट पाली को ५०) रु० मासिक पेन्शन ।

(८) श्री हरदयाल जैन निवासी किशनगढ़ को ५००) रु० की राशि का अनुदान ।

(९) श्री मूलचंद असावा निवासी अजमेर को ५०) रु० मासिक की पेन्शन ।

(५) ऐसे व्यक्तियों को दूसरे विश्वासनीय सबूत प्रस्तुत करने चाहिए ।

**एक माननीय सदस्य** : यह जागीरें तो फिर से शुरू हो गईं साहब ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह जागीरदारी नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : गोआ में जो कोटा के मजदूर शहीद हुए उनको राजनीतिक पीड़ित के रूप में सहायता दी गई क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अभी तक जो रूल्स बने हुए हैं उस में वे नहीं आते हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार सोच रही है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इन सारे नियमों के बारे में पुनः विचार किया जा रहा है, जो अभी नियम एडोप्ट किये गये हैं कुछ दिक्कतें पेश आती है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : भरतपुर का नाम फिर से जरा बताइये ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : भरतपुर के श्री केप्टन मथुराप्रसाद जी हैं ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : केप्टिन मथुराप्रसाद जी तो मेरे ख्याल से सर्विस का आदमी है, यह मेरे ख्याल से सहायता नहीं है ?

# Page No.22



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इनको पचास रुपये की पेन्शन स्वीकृत की गई।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : यह सर्विस की पेन्शन है या क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे इसके डिटेल्स का तो पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य मालूम है कि इन नियमों के बनने के बाद उनके तहत ये दिये गये हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : राजनैतिक पीड़ितों में कौन-कौन आता है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके लिये रूल्स बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत सन् १६४७ के स्वतंत्रता के पहले जिन आदमियों को क्षति पहुंची है उसके लिये नियम बने हुए हैं।

**एक माननीय सदस्य** : सन् १६४७ के पहले सारा हिन्दुस्तान ही राजनीति से पीड़ित था। यह तो एक प्रकार की जागीरदारी ही हुई।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों की ऐसी क्षति हुई है कि वे आज कमाने की स्थिति में नहीं हैं, निर्वाह मात्र के लिये यह सहायता दी जा रही है। यह जागीरदारी नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला** : कोटा की तरफ इस प्रकार की क्षति के लिये किसको दिया गया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसका कोई क्षेत्रीय बंटवारा नहीं किया गया है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल** : इन नियमों के बनने से पहले भी किसी को इस प्रकार की सहायता दी गई क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मेरा ख्याल है कि कुछ को दी गई है, जिनका नाम इस लिस्ट में मुझे देखने को नहीं मिला।

**डॉ० चन्द्रकला** : आपके पास इस प्रकार की सहायता के लिये ८६ आवेदन-पत्र आये हैं। जिनको दी गई उनका नाम तो बता दिया, लेकिन शेष के विषय में क्या है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो इन रूल्स में आये उनको तो दी गई, कुछ के मामले विचाराधीन हैं और कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया है।

**एक माननीय सदस्य** : हुक्मसिंह ठाकुर वगैरह को क्यों नहीं मिली, वे भी तो राजनीतिक पीड़ित थे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उन्होंने दर्ख्वास्त नहीं दी होगी।

**एक माननीय सदस्य** : कागज़ है, उनकी दर्ख्वास्त है, सब चीजें मौजूद हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : नियम के अन्तर्गत नहीं आती होगी। मैं आपकी जानकारी के लिये इतना और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि नियमों में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है, उसके अन्तर्गत आयगी तो मिल जायगी।

**श्री तनसिंह** : इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन होने की संभावना कब तक है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हम इसी कोशिश में हैं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : कितने प्रार्थना-पत्र बाकी हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ८६ में से ६ निकाल लीजिये, बाकी के शेष समझे जांय।

# Page No.23



**श्री धर्मपाल :** माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उस समय राजनैतिक कैदी थे जिनको पंजाब की जेलों में रखा गया था उनको कोई जमीन क्यों नहीं मिलती ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** ये ही तो सारे प्रश्न हैं जिनके कारण हमने एक कमेटी सेट अप की है। वह कमेटी इन सब प्रश्नों पर विचार कर रही है कि किन किन का समावेश इसमें होना चाहिये।

प्रश्न संख्या

**श्री अध्यक्ष :** रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

## पॉवर हाउस, धौलपुर

३०६. **डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर पॉवर हाउस का सन् ४७ से ५७ तक वार्षिक आय और व्यय क्या क्या रहा तथा प्रतिवर्ष कितने किलोवाट विद्युत का उत्पादन हुआ ?

(ख) आय और विद्युत उत्पादन क्षमता के कम होने का क्या कारण है तथा उक्त हानि के प्रतिरोध की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**विद्युत मंत्री** (श्री भीखाभाई) : आय-व्यय और कितनी किलोवाट बिजली खर्च हुई वह निम्न प्रकार है :—

| | आय | व्यय | किलोवाट विद्युत साल में |
|---|---|---|---|
| १६४७–४८ | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं। |
| १६५०–५१ | ,, | ,, | ,, |
| १६५१–५२ | ,, | ,, | १५,८४६ |
| ६५२–५३ | १३६४६-३ | ७६५०७-६-६ | ६,६३४ |
| | अक्टूबर ५२ से मार्च ५३ तक | | |
| १६५३–५४ | १६५६३६-१५-६ | १७६४२७-१२-५ | ६,७८६ |
| १६५४–५५ | १६५६८४-१५-० | १८४२३६- ८-६ | ७,६०८ |
| १६५५–५६ | २०४४३४-१४-३ | २१०६६८- ३-६ | १०,०६० |
| १६५६–५७ | २०१६२६-१२-६ | २३०७१८-१५-६ | ८८७५ |

**श्री श्रीभानसिंह :** It is too early for a Finance Ministre's Speech.

**श्री भीखाभाई :** You had demanded it.

(उत्तर पूर्व क्रम से)

(ख) १. आय और विद्युत उत्पादन के कम होने के निम्न लिखित कारण हैं :

(अ) पुराने और टूटे फूटे सेटों की डिरेटेड केपेसिटी उनकी वास्तविक क्षमता से बहुत कम है।

(ब) १६५६–५७ में एक ६० किलोवाट एम० ए० एन० से अतिरिक्त पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण तथा टूटी हुई नींव के कारण बेकार पड़ा रहा।

२. (अ) अतिरिक्त पुर्जा प्राप्त हो चुका है और टूटी हुई नींव १×६० किलोवाट सेट के लिये ठीक कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि यह सेट मार्च, ५८ के मध्य तक कार्य करने लगेगा। यह कुछ सीमा तक सप्लाई की पोजीशन को सुधारेगा।

( श्री भीखाभाई )

(ख) एक और नया सेट लगाने की तज़बीज है।

## बोर्ड ऑफ हायर सेकन्डरी एजुकेशन

३१०. डा० चन्द्रकला (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में) : Will the Education Minister be pleased to state:-

(i) Is it a fact that a Bungalow of some high Government official has been taken on rent for the office of the Board of Higher Secondary Education?

(ii) If so, what monthly rent is being paid for the same?

(iii) Was the rental value of the house in question got assessed by the Government?

(iv) Is the Government aware that the monthly rent now paid is much more than what it should be looking to the accommodation and situation of the House.

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) ३२५ रुपये माहवार।

(ग) पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा किराया निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बोर्ड स्वयं एक आटोनोमस बोडी है।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि भवन नया है और कोई दूसरा भवन प्रयत्न करने पर भी नहीं मिला। इससे बड़ा भवन प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं क्योंकि बोर्ड की आवश्यकता बढ़ रही है।

डा० चन्द्रकला : क्या इस मकान को देखते हुए किराया ज्यादा है, यह सरकार महसूस नहीं करती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह किस अधिकारी का बंगला है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : होम सेक्रेटरी साहब का।

## उप शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय की स्थापना

३१२. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) शिक्षा निरीक्षक और उप निरीक्षक भरतपुर ने १ जनवरी, १६५७ से ३१ दिसम्बर ५७ तक धौलपुर उप ज़िले में कितने दौरे किये तथा दौरों में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

(ख) क्या सरकार उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय धौलपुर में पुनः स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) शिक्षा निरीक्षक, भरतपुर ने ६ बार दौरे किये जिसमें १३६ रु० १ आना व्यय हुआ। उप शिक्षा निरीक्षक ने ५ बार दौरे किये जिनमें ३१४.२५ नये पैसे व्यय हुये।

(क) उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय, धौलपुर में रखने पर खर्च में कमी नहीं होगी

( श्री पूनमचंद बिश्नोई )

बल्कि खर्चा बढ़ेगा । इसलिये उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय धौलपुर में रखने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां पर स्कूलों की संख्या भी कम है ।

**श्री बहादुरसिंह** : शिक्षा निरीक्षक और उप निरीक्षक रखने का क्या क्राइटेरिया है, कितनी स्कूलें होनी चाहिये ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : करीबन २०० से २५० तक ।

**श्री बहादुरसिंह** : क्या धौलपुर में इतनी स्कूलें उपलब्ध नहीं हैं ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : जी नहीं ।

**श्री सूबेदारसिंह** : तो फिर क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : इसलिए तो नहीं खोला जा रहा है ।

(हंसी)

**श्री बहादुरसिंह** : ऐसा है कि करीब ४८ मिडिल स्कूल्स भरतपुर में हैं और वहां दो डिप्टी इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स हैं जब कि धौलपुर में २३ मिडिल स्कूल्स हैं । पर एक की कमी की वजह से आफिस उसका भरतपुर रक्खा जा रहा है । क्यों नहीं उसे धौलपुर भेज दिया जाता है ? एक मिडिल स्कूल की कमी कोई कमी नहीं गिननी चाहिये ।

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : जो खर्चा बताया है उससे अगर इन्सपेक्टर ऑफिस का खर्चा किराया का लगाया जावे तो भी दुगुना पड़ेगा ।

**श्री बहादुरसिंह** : आखिर इतनी मिडिल स्कूलें हैं, इनको देखते हुए ऑफिस वहां रहे तो इनको सहूलियत रहेगी ।

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : आपने प्रश्न पूछा था कि टी. ए., डी.ए से खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा, पर हमने सारी बातों की जांच करके मालूम किया है कि इसका सारा खर्चा मिलाकर भी मकान किराये से आधा ही रहेगा । अब आप दूसरी सुविधा की बात कहते या पूछते तो वैसा जवाब देते ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल** : अब उस पर विचार कर लें ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या ३२७ ।

**श्री मनोहर कोठारी** : ३२६ का क्वेश्चन है मेरा ।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब मिल गया उसका तो ।

**श्री मनोहर कोठारी** : सप्लीमेन्टरी करना है, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष** : There is no time now.

**प्रश्न संख्या ३२७**

Question no. 327.

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका रेवेन्यु मिनिस्टर साहब देंगे जवाब ।

**श्री अध्यक्ष** : अगर दूसरे मिनिस्टर को जवाब देना है, तो, This is not the time that on the last minute you come and say that the reply will be given by other Minister.

( श्री अध्यक्ष )

The Secretariat should be informed so that we can inform the members.

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मन्त्री ) : यह तो ठीक फरमाया। पर यह मुझे एड्रेस करते हैं वह भी गलत है। उनको उन्हें ही एड्रेस करना चाहिये था।

**श्री अध्यक्ष** : That is all right but it is your duty also to inform that it has been wrongly addressed.

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो मैंने कहा ही है।

**प्रश्न संख्या ३३१**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या ३३१

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : इसकी पूरी इन्फोर्मेशन नहीं आ सकी है।

**श्री अध्यक्ष** : है तो आपके डिपार्टमेंट का ही। नेक्स्ट वीक में जवाब दे दें।

(हंसी)

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : जी हां, नेक्स्ट वीक में जवाब दे दिया जावेगा।

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछले सैशन में भी पूछा गया था और उस वक्त भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया गया था।

**श्री अध्यक्ष** : मैं नेक्स्ट सैशन नहीं कह रहा हूं, नेक्स्ट वीक कह रहा हूं।

**श्री तनसिंह** : मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सप्ताह का तो फिर पक्का हो ही जाना चाहिये।

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : नेक्स्ट वीक में दे देंगे।

**११.५५ म० पू०**

## सदनसे अनुपस्थित रहने की अनुमति

**श्री अध्यक्ष** : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न सदस्यों ने विधान सभा की बैठक के लिए, उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है, विधान सभा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा की प्रार्थना की है :

श्री नारायणसिंह मसूदा, १७ फरवरी से २४ फरवरी, १६५८

श्री प्रभुलाल पुरोहित २१ फरवरी, ५८ के लिये

श्री नाथूराम करोल २१ फरवरी, ५८ के लिये।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

११.५६ म० पू०

## सदन में बैठकें निर्धारित होने सम्बन्धी वाद-विवाद

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। सदन में बैठने की एक व्यवस्था है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी की अपनी सीटें हैं और विरोधी पार्टी की अपनी। अब विरोधी पक्ष में से जिन्होंने

# Page No.27



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

कांग्रेस पार्टी जो इन की है, उधर भेज दिया जावे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी वहां ठीक हैं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : उधर ही ले जावें इनको।

(हंसी)

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य।

११.५७ म० पू०

**राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (सप्तम संशोधन) विधेयक१६५८**

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

**श्री नाथूराम** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री), राजस्व मंत्री की ओर से : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : ' That a Bill further to amend the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act," 1952 be taken into consideation

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया (विराम) अमेन्डमेन्ट्स राजस्वामंत्री अपने अमेन्डमेन्ट्स मूव करेंगे।

**खण्ड २ व २ ए (मूल धारा २ में संशोधन)**

क्लाज़ २ पर विचार। श्री अनूपसिंहजी का भी अमेन्डमेंट है क्लाज़ २ पर। श्री अनूपसिंह।

**श्री अनूपसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह संशोधन मूव नहीं करना चाहता हूं, इसलिये मुझे मूव न करने की इज़ाजत दी जावे।

**श्री अध्यक्ष** : रेवेन्यु मिनिस्टर क्लॉज़ २ पर अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज़ २ पर अपना एक अमेन्डमेंट मूव करता हूं और वह इस प्रकार है जो सर्कुलेट हो चुका है,"In-sub-section (1) of Section 14 of the principal Act for the words and figures 'the 31st day of December, 1955' the words and figures 'the 31st day of May, 1958' be substituted and shall be deemed always to have been substituted." (This is an amendment for adding sub-clause 2 A.) इसके लिये सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि खुदकाश्त ज़मीन के लिये दरख्वास्तें देने की एक मियाद पहले मुकर्रर की गई थी एक साल के लिये ३१ दिसम्बर ५५ को। पर उन जागीरदारों ने तब तक खुदकाश्त की दरख्वास्तें नहीं दीं। तो उस मियाद को अब ३१ मई ५८ तक बढ़ाने के लिये यह अमेन्डमेंट है। इसलिये यह प्रस्तुत करता हूं कि ३१ मई, ५८ तक वे अपनी दरख्वास्तें खुदकाश्त के लिये पेश कर सकते हैं और वे अन्दर मियाद शुमार की जावें।

**श्री तनसिंह** : इस क्लॉज़ पर अमेन्डमेन्ट है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तो क्लॉज़ २ था । That has not been moved.

**श्री तनसिंह** : 2 A. to be newly added.

**श्री अध्यक्ष** : Yes, 2 has not been moved. Clause 2 A. This is a new clause following clause 2.

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : [इनका संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार था : "Insert the following new clause (clause 2 A) after clause 2 '2A. Amendment of Section 14, Rajasthan Act VI of 1952-In sub-section (1) of Section 14 of the Principal Act for the words & figures "December, 1954". Occurring in the fifth line, the words & figures "August, 1958" shall be substituted and be deemed always to have been substituted"]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो टाइम लिमिट दी गई है वह कम है और चूंकि इस खुदकाश्त के मामलों को सहूलियत से हल करना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस समय को ३१ मई के बजाय ३१ अगस्त तक रख दिया जावे तो इससे लोगों को और अधिक सहूलियत रहेगी, इसलिये यह मेरा अमेन्डमेन्ट है । मेरे ख्याल से इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है यह सिर्फ एक जेनुइन डिफिकल्टी जो जागीरदार लोगों को अपना दरख्वास्तें पेश करने में आ रहा है, वह है । सरकार का भी उनको रिहेबिलिटेट करने की नीति है और उनको इस काम में और सहूलियत हो तथा उनको आगे बढ़ाने के लिये अगर आप यह बार (Bar) हटाते ही हैं तो फिर उसे ३१ अगस्त, ५८ तक कर देना मेरे ख्याल से अधिक उपयुक्त होगा । जो कुछ उनकी कठिनाइयां हैं वे आपके सामने हैं । इसलिये अगर तीन महीने का समय और दे देते हैं तो भी कोई डिफरेंन्स नहीं पड़ता है; आपके लिये और जागीरदारों के लिये इससे काफी सहूलियत हो जावेगी ।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्ताव आया है इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि यह मई, ५६ तक का बढ़ायें और यह आर्डिनेन्स अभी हाल ही में लागू किया गया है । तो सरकार की मंशा यह है कि किसी कारण से लोगों ने दरख्वास्त नहीं दी हो तो अब दे दें । यह बहुत लोगों को मालूम है लेकिन फिर भी यह आर्डिनेन्स की बात दूसरी है और एक्ट की बात दूसरी है । ऑर्डिनेन्स जब निकाला जाता है तो वह गजट में पब्लिश होता है और केवल गजट के पढ़ने वालों को ही मालूम पड़ता है और यह ऐसा समय था कि पिछले कुछ समय में यह शुरू हुआ है और अभी जो संशोधन आया है उसमें मई की जगह अगस्त महीने के रखने की मांग की है । केवल तीन महीने के रखने की मांग की है । फिर यह सैशन भी अप्रेल में खत्म होगा और अगस्त का टाइम तीन–चार महीने बाद में आता है और लोगों को पर्याप्त समय भी मिल जायेगा । तो इस तरह से लोगों को दरख्वास्त देने में समय मिल जाये तो अच्छा रहे ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह अगस्त के लिए जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं । ३१ मई के बजाय

( श्री दामोदरलाल व्यास )

अगस्त करना है । मगर अगस्त महीने की कोई डेट नहीं दी है ...

**कुछ माननीय सदस्य** : ३१ अगस्त रखिये ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अच्छा इसको ३१ अगस्त रख दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : अब क्लॉज़ २ और नया क्लॉज़ जोड़ने वाला श्री राजस्व मंत्री का संशोधन लिये जाते हैं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री अनूपसिंह का संशोधन क्लॉज़ २ ए के सम्बन्ध में स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मंत्री महोदय ने क्लॉज़ २ ए नया जोड़ने के लिये रखा है और जो इस प्रकार है :

"Amendment to section 14 (Rajasthan Act VI of 1952) In Sub-section (1) of section 14 of the principal Act for the words and figures 'the thirty first day of December, 1955,' the words and figures 'the thirty first day of May 1958' shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted."

उसे स्वीकार किया जाय । जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें कहें जो विपक्ष में हों ना कहें

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया गया और परिणाम स्वरूप क्लाज़ २ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ३ (धारा १४ में संशोधन)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप मूव कर रहे हैं अपना ?

**श्री अध्यक्ष** : (श्री दामोदरलाल व्यास ओर संकेत करके) पहले आप मूव कर दीजिए अपना संशोधन ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : [ संशोधन इस प्रकार है : "In the proposed Section 40A for the words 'within such time as may be prescribed' substitute 'within three months of the 18th of January, 1958, or of the date of the order whichever is later."]

अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ३ के ऊपर एक अमेन्डमेंन्ट पेश करता हूं जो ओरीजिनल बिल में प्रेसक्राइब है वह है "as may be prescribed by the Government," यह अमेन्डमेन्ट के जरिये कोई टाइम प्रेसक्राइब्ड करने की पॉवर्स गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते बल्कि स्टेच्यूट में ही टाइम प्रेस्काइब करना है । बजाय इसके अन्दर "whichever is

( श्री दामोदरलाल व्यास )

later" it should be "three months." ६ महिने का टाइम प्रेस्क्राइब होना चाहिये। जिस तारीख से यह ऑर्डिनेन्स यानी १८ जनवरी से यह ऑर्डिनेन्स एनफोर्स हुआ उस में ६ महीने की है। यह मियाद पेश करने की बात है। ६ महीने के बजाय यह ३ महीने होना चाहिए........

**श्री अध्यक्ष** : श्री तनसिंह।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : संशोधन इस प्रकार है : "Add the following provision to the new Section 40 A soughts to be inserted in the principal Act. "provided that no orders under this Section shall be passed unless due opportunity to show cause has been afforded to the parties cone- cerned."]

मेरा इसमें संशोधन यह है, अध्यक्ष महोदय, की रिव्यू ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए पार्टीज को नोटिस दिया जाना जरूरी है इसलिए मेरा जो संशोधन है वह जरूरी है। यह न्याय का सामान्य सिद्धान्त है कि जब कभी ऑर्डर्स रिव्यू किया जाय तो ऐसा न हो कि एक्स–पार्टी हो जाये या फिर बिना मौका दिये ही रिव्यू के ऑर्डर्स दिये जायें।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): इसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो कॉमन लॉ है कि अगर पार्टी के खिलाफ ऑर्डर देते हैं तो that order cannot be passed unless due notice is given to the party, particnlarly show cause. That has to be given. There is no question. That notice has to be issued.

इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य का जो यह अमेंडमेंट है इसको मैंने लॉ डिपार्टमेंट से भी एग्जामिन करा लिया है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी के खिलाफ रिव्यू ऑर्डर्स होते हैं तो उसको नोटिस तो देना ही होगा। यह तो कॉमन लॉ है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, फिर भी यह रहना जरूरी है अगर आप पार्टी को बिना सुने ही करना चाहते हैं तो यह प्रोवीज़ो आवश्यक है। अगर आप लीगल एडवाइज़र से पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह क्लॉज़ बिलकुल जरूरी है क्योंकि बिना पार्टी के नोटिस दिये अगर आप कोई फैसला दे देते हैं तो यह कानून के खिलाफ है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके अन्दर यह कहना कि उसके लिए अलग होना चाहिए, इसके लिए लॉ डिपार्टमेन्ट से भी पूछा गया मैंने बताया है that notice is indispensibleand that will be given.

**श्री तनसिंह** : (जारी रखते हुए) तो अध्यक्ष महोदय, वैसे आप स्वयं मानते हैं कि यह जो कुछ मेरा संशोधन है उसकी मंशा पूरी हो जाती है, लेकिन शब्दों को यहां इस अमेंडमेंट को रखने में अगर उनको कोई अड़चन होती है और वह कहते हैं कि यह अनावश्यक है, तो मेरा यह निवेदन है कि यदि यह स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केवल इन्टरेस्टेड पार्टी की तरफ से ही आवश्यकता हो सकती है और 'सुवो मोटो' के ऊपर भी हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि एक पार्टी से जो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है उसको दें और दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए। ऐसा हो सकता कि एग्रीव्ड

( श्री तनसिंह )

पार्टी को भी नोटिस देकर एक आर्डर पास करें और सम्भवत: दूसरे के लिए भी हो। जब कभी रिव्यु का आॅर्डर पास किया जायेगा तो दूसरी पार्टी का भी नोटिस होगा। आपके कहने से यह स्पष्ट होता है कि यह बात सही है और फिर यदि बाद में मान लीजिए कि किसी ने रिव्यु आॅर्डर करवाये बिना नोटिस दिये तो कानून यह कहता है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो फिर यह कह दिया जायेगा कि नोटिस क्यों दिया जाय। अगर इसमें स्पष्ट है तो अच्छा है....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसकी जरूरत नहीं है, मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछ लिया है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह का संशोधन स्वीकार किया जाये, जो इस प्रकार है :

"Add the following proviso to the new Section 40 A sought to be inserted in the principal Act: 'Provided that no orders under this Section shall be passed unless due opportunity to show cause has been afforded to the parties concerned,"

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

एक संशोधन जो श्री दामोदरलाल जी व्यास ने रखा है जो इस प्रकार है, "In the proposed section 40 A for the words 'within such time as may be prescribed' substitute 'written 3 months of 18th of January, 1958, or of the date of the order, which ever is later." स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ३ स्वीकार विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**खण्ड ४** ( नई धाराएं ४० ए. व. ४० बी जोड़ने सम्बन्धी)

(विराम)

क्लॉज ४ पर कोई अमेन्मेंट नहीं है।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**खण्ड ५** (निरसन)

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज़ ५।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ पर जो एमेंडमेंट है वह बिल्कुल फोर्मल है। यह आॅर्डिनेन्स को रिपील करने का एक क्लॉज़ है और बहुत मामूली सा है। नया क्लॉज़ इस प्रकार है :

"5 Repeal : The Rajasthan land Reforms and Resumption of

( श्री दामोदरलाल व्यास )

Jagirs (Seventh Amendment) Ordinance, 1958 (ordinance of 1958) is hereby repealed"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नया क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

नया क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**खण्ड १** (संक्षिप्त नाम)

**श्री अध्यक्ष :** (श्री राजस्व मन्त्री से) संशोधन है इसमें आपका ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : वह फॉर्मल सा है। १६५७ था और आज १६५८ हो गया है इसलिए वह होना चाहिए, संशोधन इस प्रकार है :

"Clause 1 : For figure '1957' substitute '1958."

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि कॉलज़ १ पर जो संशोधन श्री राजस्व मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

कॉलज़ १ पर संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप में और प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(विराम)

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (सेकन्ड एमेंडमेंट), बिल १६५७, को विचारार्थ लिया जाय....

I am sorry, Sir. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स सप्तम् संशोधन) विधेयक, १६५७ पारित किया जाय।

(विराम)

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक पारित किया गया।

१२. १२. म० प०

**राजस्थान भू-धारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७**

(खण्डश : विचार-विमर्श एवं पारित)

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७, को विचारार्थ लिया जाय।

इसके साथ ही मैं कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस एमेंडमेंट बिल में सेक्शन 'ए' एक्ट में जो जोड़ा जा रहा है वह यह है कि राजस्थान कैनाल के अन्दर जिस तरह कि पहले इस सेक्शन १५ में यह प्रोविजन दिया गया था कि भाखरा के अन्दर या जवाई प्रोजेक्ट के अन्दर या चम्बल के अन्दर कोई टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए जमीन दी गई हो, उसके अन्दर खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, मगर उस वक्त

( श्री दामोदरलाल व्यास )

उसमें राजस्थान कैनाल का नाम गलती से दर्ज होना रह गया था। राजस्थान कैनाल की स्कीम उस वक्त थी, लेकिन गलती से सेक्शन १५ में दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए इस एमेंडमेंट के जरिये राजस्थान कैनाल को भी दर्ज किया जा रहा है। इस बिल के एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स में काफी साफ है। इससे साफ मालूम होता है कि किस कारण से एमेंडमेंट किया जा रहा है।

इसके साथ ही साथ मैंने कुछ एमेंडमेंट्स और रखे हैं जो बाद में मूव करूंगा। इसका पर्पज़ इतना ही है कि राजस्थान कैनाल जहां जहां आयेगी उस क्षेत्र के अन्दर खातेदारी राइट्स हासिल नहीं होने चाहिए, टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स को जैसे कि भाखरा, जवाई और चम्बल के अन्दर नहीं हो सके हैं इसलिए यहां पर भी वही लागू किया गया है and it should be treated purely as temporary cultivation.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आ रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि इसके सम्बन्ध में वाकई में कई प्रोजेक्ट्स हैं जवाई और चम्बल आदि उनके सम्बन्ध में, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इनके सम्बन्ध में कानून बना दिया है और राजस्थान कैनाल का क्षेत्र बच गया था। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी काश्तकार को इस क्षेत्र में जमीन दे दी गई है और जमीन देने के बाद में उस क्षेत्र को इस प्रकार से चाक-आउट कर देते हैं कि उसकी तरफ से राजस्थान कैनाल आयेगी तो उस व्यक्ति को जिसकी तरफ राजस्थान कैनाल जा रही है खातेदारी राइट्स के अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है ? इससे हानि क्या होती है कि एक व्यक्ति को जो खातेदारी राइट्स मिलते हैं, उससे वह भूमि में इन्ट्रेस्ट लेता है, उसमें काम अच्छा करता है क्योंकि वह समझता है कि भविष्य में वह उस भूमि का स्थाई मालिक रहेगा, उस पर स्थाई रूप से काश्त कर सकेगा। अतः वह व्यक्ति उस जमीन में अधिक ध्यान देगा। यह कर सकते हैं कि दो एक वर्ष से जिनको जमीन इस तरह की एलॉट की गई है उसको रोकें तो बात ठीक है, लेकिन जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, किसी को ५ साल, किसी को ४ साल हो गये हैं, उनको इस अधिकार से महरूम रखते हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी खातेदारी राइट्स के सम्बन्ध में इस समय जो एमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है मिनिस्टर साहब द्वारा उसका विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि एक धारणा बन रही है कि राजस्थान के लोगों को यह भय हो रहा है कि काम आते आते शायद यहां तक न आ जाय। थोड़ी सी गलती रह गई कि राजस्थान कैनाल एरिया को भूल गये हैं। यह भूलने वाली चीज़ है। यही हो रहा है कि आपकी भूल के कारण से आज राजस्थान के अन्दर किस तरह से लोगों के अन्दर आपके प्रति भाव हो गये हैं। यही चीज़ तो सारी जगह हो रही है। यही चीज़ तो आज प्रकाश में आ रही है कि हमतो भूल गये। वह जमाना चला गया कि आप एक बात भूल जायं ऐसी उल्टी उल्टी बातें आप करते हैं कि जनता में आपके प्रति अश्रद्धा हो जायगी। पहले भी काफी बहस हुई थी और बहस होकर विरोधी दल ही नहीं, कई कांग्रेसी सदस्यों ने यह कहा था कि ऐसी चीजों से जनता में

( श्री मदनसिंह दांता )

घबराहट होगी। आधे राजस्थान में खातेदारी राइट्स हों और उसी राजस्थान में आधे किसानों को खातेदारी राइट्स न हों। शायद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को याद है कि केवल जागीरदारों को खातेदारी राइट्स नहीं मिले इसलिए कानून बनाया जाय। थोड़ी सी सहानुभूति के कारण थोड़े बहुत जागीरदारों को ज़मीन दे दी गई, लेकिन आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब एक साल और बढ़ा रहे हैं। अभी भी कई जागीरदारों को जमीनें, नहीं मिली हैं इसलिए एक साल और बढ़ा दिया जाय। जागीरदारों को खातेदारी राइट्स मिलेंगे तो उस जगह पर मिलेंगे तो ऐसी जगह के मिलेंगे कि जब चाहे सरकार हटा सकती है। मैं यह कहूंगा कि यह राजनैतिक चाल है। खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे तो जो काश्तकार हैं वे गवर्नमेंट के बाड़दार होंगे, जैसा कि जागीरदारों के बाड़दार रहते थे उनको दबाया जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो उनको हटा दिया जायगा। उस वक्त हमने आपकी बात को माना। आज आप कह रहे हैं कि भूल गये, तो जितनी भी भूल गये वे तरीके की चीजें हैं उनको और याद कर लें, घण्टे आध घण्टे में हम इतना और ठहर सकते हैं। इस तरह की भूल की चीजों से ही तो अविश्वास होगा लोगों में और आप लोगों के प्रति संदेह उत्पन्न होगा।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, यह चीज़ होगी कि जो लोग अपने खातेदारी राइट्स छोड़कर जा रहे थे, जो अपनी जमीन के खातेदार थे, उनकी एवज़ मे खातेदारी राइट्स दूसरों को मिल गये। वह खातेदार उनकी जमीन के हो गये और अब उनको वहां जाकर भी खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से काश्तकारों के आनन्द यह भाव उत्पन्न होगा और आप थोड़े से दिनों में यह मालूम करेंगे कि लोग यह समझ रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की यह नीति हो रही है कि किसानों के लिए जो अवाज़ दी जाती थी कि ज़मीन का मालिक किसान होगा, वह आज ज़मीन का मालिक नहीं है। खातेदार की हैसीयत से ज़मीन का मालिक माना जासकता है। यह चीज़ होगी कि पार्टी वाले बिगड़ रहें हैं तो राजस्थान के अन्दर दो चीजें हो गई। पहली यह हुई कि जमीन बेकार थी उनको उस पर खातेदारी राइट्स देकर खुश कर दिया। यह कहा गया कि राजस्थान की पूरी ज़मीन और जायदाद के राइट्स हमने दे दिये हैं और खातेदारी राइट्स दे रहे हैं। वाकई में चीज़ यह हुई कि जहां पानी था, जिसमें सोना उपज सकता था उस जमीन के ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कन्ट्रोल है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। जैसे भूल गये हैं वैसे ही याद करके इसको वापिस ले लें और कानून की गलती से खास तौर से जो खातेदारी राइट्स मिल गये हैं तो बहुत अच्छा है।

इसलिए इस तरह का कानून इस समय उपस्थित करते हैं तो मैं समझता हूं कि यहां जो काश्त बढ़ाने का आन्दोलन चल रहा है और जैसे कहा जा रहा है कि हम अधिक काश्त करना चाहते हैं, अधिक अन्न उत्पन्न हो, तो इससे लोगों को इसमें रूचि नहीं रहेगी और कोई काश्त करने के लिये तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा वाद-विवाद में न रख कर अभी रेवन्यू मिनिस्टर साहब इस पर विचार करके इसे वापिस ले लें तो बड़ी खुशी की बात होगी और इस कानून के आने से जो नतीजा होता है, उसे न होने दें। यह सबसे बड़ी अच्छी चीज़ विरोधी दल से रखी

(श्री मदनसिंह दांता)

गई है, मैं मानता हूं और आशा करता हूं आप इस चीज़ को मान लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि जवाई, भाखरा और चम्बल एरिया में यह कानून पहले से लागू कर दिया गया है और यह भी हो सकता है कि यह उसके कन्टीन्यूएशन में ही हो और कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। इसके साथ ही मुझे अर्ज करना है कि जिन राजस्थानियों की ये जमीन हैं और जिनका इन जमीनों से लेना देना है, जो इन जमीनों पर रह रहे हैं, वहां उनकी ज़मीन जायदाद होना मुमकिन है। उनके पास जो जमीन हैं, उन्हें अपने हिसाब से किराये पर देने का भी हक नहीं है, वे उस ज़मीन के मालिक कहलाते हैं पर उसको किराये पर नहीं दे सकते, लीज़ पर नहीं दे सकते हैं। इस जमीन पर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट के कन्ट्रोल के बाद जब कभी गवर्नमेंट को सहूलियत होगी तब अपने हिंसाब से, अपने कायदे से चाहे इसका एलॉटमेंट करेगी, चाहे इसको नीलाम करेगी और चाहे उसे बेच देगी। इसलिए मेरे अर्ज करने का मतलब है कि वैसे तो इन जमीनों पर उनका हक है, जो इन पर बसे हुए हैं, पर इन जमीनों को लीज़ करने का, किराये पर देने का हक उन्हें नहीं। कोई भी आदमी अपनी जमीन को किराये पर नहीं दे सकता है। इन सारी जगहों पर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होने के बाद, गवर्नमेंट को दखल होने के बाद भी वे लोग इन जमीनों को लीज़ पर नहीं दे सकते हैं। मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार खातेदारी राइट नहीं होता है। जो संशोधन बिल रखा गया है, उसके द्वारा यह होगा कि आज वे अपनी जमीन किराये पर नहीं दे सकते, बाद में जब ये जमीन गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में आ जायेगी तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी के अनुसार अलॉटमेंट करेगी और जिसके पास पैसा होगा, वह उन जमीनों को खरीद लेगा और कोई गरीब आदमी का इन जमीनों से वास्ता नहीं होगा। उनके द्वारा जो इन जमीनों की प्रगति होगी, उस पर जो खेती होगी, उसका लाभ वे लोग नहीं उठा सकते हैं और हो सकता है कि पंजाब से जो आये हुए हैं, जिनके पास पैसा है, जमीन को वे खरीद कर बस जायेंगे और राजस्थान कैनाल राजस्थानियों के लिए किसी काम के लिए नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि राजस्थान कैनाल है वहां राजस्थानियों को जमीन पर बसा दीजिये, जिनका हक है, उसको हक देने में विरोध नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि आगे जमीन किस तरह से देते हैं, शायद उनको ही दे देंगे, लेकिन यह लम्बी चीज़ है। आज उनका हक है, वह हक उन लोगों को दे दें तो इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो गंगानगर कैनाल के एरिया में जैसे पंजाब के लोग आकर बस गये है, जिनके पास पैसा है, वैसे ही राजस्थान कैनाल एरिया में लोग बस जायेंगे और जो वहां के रहने वाले हैं, उनको जमीन नहीं मिलेगी और वे जमीन पाने से महरूम रह जायेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि जिस प्रकार यह भाखरा, जवाई और चम्बल एरिया में एक्ट लागू कर दिया गया है, उसी प्रकार राजस्थान कैनाल एरिया में लागू न किया जाय।

**श्री मूलचन्द डगा** (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ में संशोधन करने के लिए राजस्थान

( श्री मूल चन्द डागा )

टिनेन्सी (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, १६५८ पेश कर रहे हैं, उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ने से यह मालूम नहीं होता कि क्यों गवर्नमेंट ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में इन दोनों धाराओं को रखा है। इन धाराओं में रखा है कि कोई ऐसी कल्लाड़ जमीन है, नहरी जमीन है, उसका किसी को अधिकार मिलता है, वह, किसी खास कारण से, मैं कारण नहीं बता सकता, पहली अक्टूबर तक दिया है, उसमें यह साफ नहीं है कि आप इस प्रणाली को चालू रखना चाहते हैं। उसमें आपने संकेत नहीं किया है। इसका मतलब यह रहेगा कि आपकी गवर्नमेंट को यह अधिकार रहेगा कि वह भूमि वितरण सम्बन्धी कार्यवाही करे। जो भूमि राजस्थान—कैनाल के अन्तर्गत होगी, उसका जिस प्रकार वितरण होगा, यह इसके अन्दर साफ नहीं है। यह मालूम नहीं होता कि आप किस उद्देश्य से यह प्रणाली चालू करना चाहते हैं। जो खातेदार हैं, जो खेती करने वाले हैं, उन खेती करने वालों के कब्जे में जो जमीन है, वे उसके मालिक बन जाते हैं लेकिन जो नया संशोधन करने जा रहे हैं, उसके कारण से उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि जो अमेंडमेंट इसके अन्दर करने जा रहे हैं, उसे स्पष्ट करें कि किस कारण से यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं और किस कारण से उन्हें उनके अधिकारों से बेदखल करना चाहते हैं, जिनके पास जमीन हैं, जायदाद हैं, उनसे क्यों बेदखल करना चाहते हैं। जो राजस्थानी नहरी एरिया में हैं, उनके जो खातेदारी के अधिकार हैं, उनके लिए अलग से कानून होगा, जो गंगा-नहर एरिया में हैं, उनके लिए अलग कानून होगा और जो दूसरे नहरी एरिया हैं, उनके लिए अलग नियम होंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल** ( किशनगढ़ ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी एक्ट में जब यह कहा गया है कि जो जमीन आपके कब्जे में है, उस पर टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के दिन से खातेदारी राइट हो जायेंगे। जिनलोगों के कब्जे में कैनाल एरिया में जो जमीन हैं; इस एक्ट के तहत उन्हें खातेदारी राइट्स प्राप्त हो गये हैं अब इस एक्ट में एमेंडमेंट हो जाने के बाद उनके इस राइट को वापसि ले लिया जायगा....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जरूर।

**श्री पुरुषोत्तमलाल** : यह समस्या हमारे सामने है कि जिस ढंग से जो राइट्स टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक १५ तारीख को दे दिये गये, उन्हें वापिस ले लिया जाए। इसके लिए यह अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि टिनेन्सी एक्ट के अनुसार जो राइट्स दे दिये हैं उनको आप वापस ले लें, यह साफ नहीं है, इसे आप खुलासा करें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): सेक्शन १५ के एमेंडमेंट का जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है, कुछ को तो शंका पैदा हो गई है, जिसका वे क्लेरीफिकेशन चाहते हैं। मैं सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं कि बीकानेर स्टेट में यह टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया, उसके पहले उस एरिया में बीकानेर स्टेट का लॉ था, उसके अनुसार उस एरिया में सबको टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के राइट थे। जैसा कहा गया कि इसमें कहीं भूल हो गई है, मैं मानता हूं कि इसमें भूल है। जिस वक्त टिनेन्सी एक्ट का ड्राफ्टिंग शुरू हुआ था, उस वक्त राजस्थान कैनाल की निश्चित बात नहीं थी, इसलिए राजस्थान कैनाल को उसमें दर्ज नहीं किया गया। जिस समय यह बिल विधान सभा में आया, उस वक्त यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बात रह गई कि जवाई, भाखरा, चम्बल कैनाल के साथ ही राजस्थान कैनाल को भी दर्ज करना चाहिए, वह उस वक्त दर्ज नहीं हुआ इसलिए एक अमेंडमेंट लाकर हम उसे दर्ज कर देना चाहते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ के द्वारा किसी को राइट मिले, उसमें हम तरमीम नहीं करना चाहते हैं, इस अमेंड-मेंट के जरिये इसे दर्ज करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि जो राजस्थान कैनाल की योजना है, उसमें गवर्नमेंट का ६७ लाख रुपया खर्च होगा, वहां पर डेम बनेगा, तो इस सब पर ६७ लाख रुपया इन्वेस्ट होगा, इससे उस एरिया की जमीन की कीमत बढ़ जायगी। जो लैंड होल्डर्स हैं, उन लोगों ने प्रीमियम देकर, बड़े प्रीमियम देकर, ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए गवर्नमेंट अपनी पोलिसी के मुताबिक लैंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेगी। आज हमने देखा है कि जो इस एरिया की ज़मीन है, वहां लैंड होल्डर्स हैं, वे नाजायज तौर पर प्रीमियम लेकर जमीन दे रहे हैं। आज टिनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रीमि-यम लेना मना है, उसके अनुसार प्रीमियम लेकर जमीन बेच नहीं सकते। यह नाजायज और गैरकानून कार्यवाही है। इसको रोकने के लिए जो अमेंडमेंट पेश किया है, इसका मतलब यह है कि जो लैंड होल्डर्स हैं, वे अपनी जमीन को काश्त के लिए दूसरे को नहीं बतायेंगे। जिनको बीकानेर स्टेट के समय से अधिकार हासिल हैं, वे अधिकार हासिल रहेंगे। टिनेन्सी एक्ट के अनुसार वे नाजायज फायदा नहीं उठा सकते कि प्रीमियम चार्ज कर लें और खातेदारी के राइट दे दें। इससे जो गवर्नमेंट की लैंड पॉलिसी है, उसमें गड़-बड़ी पैदा हो जायगी और गवर्नमेंट की लैंड-लेस को जमीन अलाट करने की जो पॉलिसी है, उसको लागू करने में दिक्कत आयेगी। इसमें अमेडमेंट से जागीरदारों या लैंड होल्डर्स के अधिकारों का हनन नहीं होता और जो राइट्स, हक उनको शुरू से हासिल थे, वे उनके रहते हैं। हम नये राइट्स उनको नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वे नये राइट्स का फायदा उठा सकें, जिनका कि कानूनन उनको अधिकार नहीं है। उनको प्रीमीयम लेने का अधिकार नहीं है, वे प्रिमि-यम लें और खातेदारी राइट्स दें, इसको रोकने के लिए सरकार अमेंडमेंट लाई है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई सी गलत-फहमी की बात है या अड़चन की बात है। मैं इसके साथ यह भी अर्ज करूं कि जो राइट्स उनको पहले थे, वे वैसे ही रहेंगे। पहले बीकानेर इलाके में खातेदारी राइट्स नहीं थे, केवल टेम्प्रेरी राइट्स थे। लेकिन वे जमीन के राइट्स बदस्तूर रहेंगे। सेक्शन १५ के अनुसार जो राइट्स पहले के होंगे वे रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीगल डिफीकल्टी के लिए जैसा कहा, मैं अर्ज करूं कि कानूनन यह ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं जैसा साफ लिखा है, उसके अनुसार ही अमेंडमेंट पुट अप कर रहे हैं।

मैंने इसको विस्तार से समझाने की कोशिश की है, जिस कारण मैंने यह अमेंडमेंट किया है।

यह कानून की बात है जिस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हैं: तो उसके जरिये, जिनको जो अधिकार नहीं मिलने चाहिये, वे मिले हैं, तो खत्म हो जाते हैं, जिस दिन से वह लागू होता है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : दो सन्देह और रह गये है उनके लिये मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

( श्री मदनसिंह दांता )

एक तो यह कि जिन लोगों की यहां पर जमीनें हैं, उनके खातेदारी राइट्स छोड़ दिये हैं इस कारण कि उन्हें केनाल पर जमीन दी गई है या दी जाने वाली है, इस ख्याल से कि हम कैनाल पर जाकर रहेंगे। तो उन्होंने यहां, जो जमीनें उनकी थीं उनके खातेदारी राइट्स दूसरों को दे दिये, उन लोगों को खातेदारी राइट्स मिलेंगे कि नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य बहुत दूर की सोचते हैं। जागीरदारों को राजस्थान केनाल में जमीन मिली नहीं, मिलेगी; उनके खातेदारी राइट्स को छीनने के लिये हम यह कानून बना रहे हैं। यह उनको गलतफहमी हो गई है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है।

भाखरा में भी यह लॉ था कि टेम्परेरी कल्टीवेशन था उसी हैसियत से काम करते आये थे। रूल्स में हमने प्रायोरिटी उनको दी है जो टेम्परेरी कल्टीवेटर थे। एक मुरब्बा जमीन तो हर एक को दी है। इस बात का ख्याल छोड़ देना चाहिये कि टेम्परेरी कल्टीवेटर्स हैं उनको अधिकार नहीं मिलेंगे। सोशियल जस्टिस होना चाहिये, हर एक को जमीन मिल सके, ऐसा कानून होना चाहिये। यह नहीं हो तो वहां लैंड होल्डर्स ५०-५० मुरब्बा जमीन एक एक आदमी अलोट कराना चाहता है। राजस्थान केनाल आयेगी; भूमिहीन किसानों को देने के लिये जो हमने नक्शा बना रखा है वह सब खत्म हो जायगा और दूसरे ही खातेदार बना जायेंगे, इस जमीन को उन्हें अलोट नहीं कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि उनके हक बदस्तूर सेफ गार्डेड हैं, जरूर-जरूर उनको प्राथमिकता दी जायगी। भाखरा के रूल्स देख लीजिये, गंग केनाल के रूल्स में देख लीजिये, और रूल्स हैं उनमें देख लीजिये कि लैंडलैस टिनेन्ट्स इसके बाद में आते हैं पहले टेम्परेरी कल्टीवेटर्स आते हैं।

तो यह बहम करना कि जागीरदारों के हकों को खत्म करने लिये यह किया जा रहा है, इस चीज़ को दिमाग में से निकाल देना चाहिये। सब के साथ सोशियल जस्टिस होगा। यह बात जरूर है कि जो काश्त करेगा उसी को खातेदारी राइट्स मिलेंगे, जो टेम्परेरी कल्टीवेटर्स हैं, जो भूमिहीन हैं उनको प्रयोरिटी दी जायगी, जागीरदार वहां जाकर आबाद होंगे, उनको भी वहां प्रयोरिटी देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या यह सही है कि जो वहां के भूमिहीन थे वे तो यों ही रह गये और दूसरों को जमीनें दी हैं?

श्री दामोदर लाल व्यास: जिस किसी से आपने सुना है गलत सुना हैं। आप अगर मुझसे जानकारी करेंगे तो एक एक इंच ज़मीन का हिसाब दूंगा और यकीन दिलाऊंगा कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी है। केवल २५-३० हजार बीघा जमीन जागीरदारों को दी है, जहां ५-६ लाख एकड़ जमीन का इरिगेशन आ रहा है वहां २५-३० हजार बीघा जमीन दे दी तो यह कोई ज्यादा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: भूदान यज्ञ आन्दोलन के अन्दर कितनी जमीन दी है?

श्री अध्यक्ष: भूदान को इसमें लाने की आवश्यकता नहीं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): वैसे काफी अच्छे ढंगसे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने इसे सम

(श्री मदनसिंह दांता)

फाने की कोशिश की है, और मैं भी चूंकि इसके वादविवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि जब आप सीलिंग ला रहे हैं तब फिर कैसे कहते हैं कि इतने हज़ार बीघा जमीनें एक एक के पास रह जायंगी। जब आप सीलिंग ला रहे हैं तो इस तरह का तर्क देकर यह कानून हमारे गले उतारना चाहते हैं तो यह गले नहीं उतरता। एक तरफ तो सीलिंग आने वाला है और दूसरी तरफ आप यह दलीलें देते हैं कि इतनी जमीन रख लेंगे, उतनी रख लेंगे, यह कुछ समझ में नहीं आता। इसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है कि यहां जिन लोगों की जमीनें थीं उनके खातेदारी राइट्स उन लोगों ने दूसरों को इस आशा पर दे दिये हैं कि उन्हें केनाल एरिया में खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे। वे अपनी चीज दे रहे हैं, उनको खातेदारी राइट्स मिलेंगे कि नहीं, इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। वैसे विरोध की चीज नहीं है, सब पर लागू होगा वह हम पर भी लागू हो जायगा। इसके लिये तो किया ही क्या जा सकता है?

**श्री गिरधारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री अध्यक्ष** : अब आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल** : एक सवाल पूछना है।

**श्री अध्यक्ष** : पूछिये।

**श्री गिरधारीलाल** : केनाल एरिया में वहां जमीनें घोषित नहीं हुई थीं, टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के मुताबिक जिन किसानों को खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये थे, टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार किसानों को खातेदारी राइट्स नहीं मिले, वे नहीं मिले, उन किसानों पर आपके कानून का असर नहीं पड़ेगा?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं समझ नहीं सका, एक बार और फरमाइये।

**श्री गिरधारीलाल** : जिस तरीके से वे जमीनें जो बीकानेर इलाके या दूसरे इलाकों में, राजस्थान केनाल एरिया घोषित नहीं किया था, टीनेन्सी एक्ट बाद में लागू हुआ, टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार जिन किसानों को खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये थे नहीं मिले, उनके हक मारे जायेंगे इस कानून से? जिन्होंने काफी जमीनें खरीद रखी हैं, उनको खातेदारी राइट्स मिलना ठीक नहीं रहेगा, जिन किसानों के पास, भूमिहीन किसानों के पास, तीस-तीस, चालीस-चालीस बीघा जमीनें है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, वहां भूमिहीन ज्यादा बसते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जहां तक इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सवाल है, लॉ पर छोड़ देना चाहिये। पर टेम्पोरेरी कल्टी-वेशन की शर्त क्यों लगा रहे हैं, यह मैंने साफ बता दिया है, सोशियल जस्टिस होगा, लैंड-लैस टीनेन्ट्स को इक्विटेबल तरीके पर जमीनें दी जायंगी।

**एक माननीय सदस्य** (विपक्ष): पहले वालों के लिये कितनी जमीनें रखी गई है?

**श्री अध्यक्ष** : बड़ी खुशी की बात है कि आज-कल आप बोलने लगे हैं, पर सोच कर बोला करिये।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

गई



(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

खण्ड १ (ए)

खण्ड १ ए (धारा १५ में संशोधन)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, नया क्लाज़ १ (ए) जोड़ने का अमेंडमेंट रखना चाहता हूं वह इस तरह है। सेक्शन १५ जो टीनेन्सी एक्ट का है, उसमें इस तरह संशोधन करने का है :

"After the word and figures 'Section 16', the words, latter and figures 'and clause (d) of sub-section (1) of Section 180' be inserted."

इस अमेंडमेंट से मेरी मंशा यह है, सेक्शन १५ को मुलाहिज़ा फरमाइये, १८० को मुलाहिज़ा फरमाइये तो इन्कन्सिस्टेन्सी है उसको मिटाने के लिये यह अमेंडमेंट पेश कर रहा हूं और वह इस तरह से आ जाता है कि सेक्शन १५ में हमने उन तमाम लोगों को जो इस एक्ट के बनते समय काश्त करते थे, खातेदार का अधिकार रखते थे, सिवाय उन लोगों के जो खुद काश्त करते थे लेकिन उनको हमने खातेदारी में शामिल नहीं किया; यदि आप सेक्शन १८ का मुलाहिजा करेंगे तो उसमें यह बात है कि जो लैण्ड होल्डर्स हैं उनको पॉवर्स दी हैं, पर्सनल कल्टीवेशन के लिये टीनेन्ट्स एण्ड सब टीनेन्ट्स ऑफ खुद काश्त जो for the purpose of getting land for the personal cultivation. और पर्सनल कल्टीवेशन के लिये लिमिट दी गई है वह सब इसमें है। प्रश्न यह है कि १५ सेक्शन के राइट से गैर खातेदार को खातेदारी के राइट्स हो जाते हैं, लेकिन १८ सेक्शन में नहीं रहते। दोनों में आपस में अन्तर है उसको मिटाने के लिये मैंने यह एमेंडमेंट रखा हैं for the purpose of personal cultivation. इसलिये यह तो इनकॉन्सिस्टेन्सी है। Subject to the provisions of Section 16 and clause (d) of sub-section (1) of Section 180. This is to be added only for that purpose.

और इस पर्पज के लिये एमेंडमेंट को पास करना चाहिये।

**श्री मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, यह पहले रखा गया था और डिलेट क्यों हुआ? अगर डिले हुआ तो हमें कुछ कहना है।

**श्री पी. के. चौधरी** : Sir, I also...

**श्री अध्यक्ष** : Yes, is it any amendment? "IAA-the proviso to Section 15 of the Principal Act shall be deleted."

**श्री पी. के. चौधरी** : I move the amendment that proviso to Section 15 of the principal Act shall be deleted.

प्रिन्सिपल एक्ट का प्रोविज़न है वह इस प्रकार है :

"that no Khatedari rights shall accrue under this Section to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai Project area etc."

(श्री पी. के. चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, एमेंडमेंट मूव करने का मेरा मकसद यही है, मैं समझता हूं कि जो प्रोविज़ो है वह इनइक्वीटस है यानि उसमें डिसक्रिमिनेशन किया जाता है और इसके प्रोविजो को प्रोवाइड करने में सरकार का मकसद यही है कि जो टीनेन्सी राइट्स दूसरे किसानों को मिल सकते हैं मैं समझता हूँ वही राइट्स किसानों को इर्रिगेटेड एरियाज़ में भी मिलने चाहिये, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो कहना है वह यह है कि हम लैण्ड जिसे चाहेंगे उसे देंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और मैं इसको ठीक नहीं समझता। आज माननीय मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले जो एक एमेन्डमेंट का जवाब देते हुए कहा था कि हमको हमारी जो राजस्थान केनाल एरिया के लिये योजना है वह यह है कि वहां पर लैंडलेस टीनेन्ट्स को बसाना चाहते हैं और इस प्रकार का प्रोविज़ो रखते हैं कि दूसरे लोग कब्जा नहीं कर लें और साथ ही साथ यह भी कहा कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके लैण्ड की वेल्यु बढ़ाती है, इसलिये सरकार उस जमीन को जिसको देना चाहे उसको मिलनी चाहिये और न कि जिसको बाइचान्स ओटोमेटिकली मिलनी चाहिये मिल जावे। यह जो डिस्क्रिमीनेशन है वह गलत है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि ऐसी उनकी योजना है, मैं क्या उनसे पूछ सकता हूं कि वास्तव में आपकी इस संबन्ध में कोई योजना है या विचार है। वाकई में कोई लेन्डलेन्स लेबर को बसाने का आपका इरादा और आपकी स्कीम है। मैं यह कहूंगा कि आपके सामने कोई ऐसी कम्पलीट स्कीम नहीं है, अगर होती तो मैं उनसे पूछूंगा कि कितने लैंड लैस लेबर है जिनको उन्होंने केनाल ईरिगेशन एरिया में बसाने का प्रबन्ध किया है। कितने लोगों को बसाया जाएगा, कितनी फेमिलीज को लिया जावेगा। क्या इसके लिये आपके पास निश्चित योजना है। मैं कहूंगा कि कोई नहीं है।

**श्री मोहनलाल भटनागर** : माननीय अध्यक्ष, मेरा उसमें टेक्निकल ऑब्जेक्शन है।

You cannot move it.

**श्री पी. के. चौधरी** : But the amendment has been moved.

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आर्ग्युमेंट्स दिये जाते हैं, प्ली दी जाती है उसमें, प्रोविज़ो है हम लोगों को टीनेन्सी राइट्स नहीं देने चाहिये और उसको मंजूर कराने के लिये ये सदन के स्वीकृति करने के लिये जो दलीलें दी जाती हैं, मैं समझता हूं कि सही दलीलें नहीं हैं। यदि सही दलीलें होती तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज इस चीज को हमारे सामने बताने की स्थिति में होते कि क्या स्कीम उनके सामने है, कितने लेन्ड लेस लेबर्स है, कितने वहां पर बसने के लिये तैयार हैं, वे बता सकते है। उसकी लिस्ट उनके पास होती लेकिन वह लिस्ट उनके पास नहीं है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा और कहना चाहूंगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सरकार की तरफ से डिस्ट्रिब्युशन होता है वह अगर फेअर और मैरिट्स पर होता हो। सरकार में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिब्युशन होता है और ऑफिसर करते हैं और जहां तक मेरा अनुभव है वह यही है कि वह मैरिट्स पर नहीं होता वह फेवरटिज़्म पर होता है। इसलिए इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष,

(श्री पी. के. चौधरी)

जिस समय किसी अफसर को किसी अवसर पर डिस्ट्रिब्युशन करने का हक दे देते है तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इस सिलसिले में मैं माननीय अध्यक्ष, एक ग्रामर ऑफ करप्शन है उसमें से एक दो पेराग्राफ रखना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि यह जो करप्शन है किस तरह से पनपता है और उसको किस तरह से प्रोत्साहन मिलता है और ज्यादातर फेवरेटिज्म, जब प्रोपर्टी बांटने का अधिकार किसी अधिकारी को दिया जाता है वहां पर होता है, यह ग्रामर ऑफ करप्शन इंगलैंड की है। एक प्रोजेक्ट राइटर है उसकी लिखी हैं और इंगलैंड में गवर्नमेंट में करप्शन हुआ है उसका हाल लिखा है। उसमें यह बताया गया है कि जितनी एग्ज़ीक्युटिव आथोरिटीज़ है उनमें ज्यादा करप्शन होता हे और दूसरों में कम, जिनके पास एग्ज़िक्युटिव वर्क नहीं होता। ग्लेगस्टोन ने पार्लियामेंट के करप्शन को कम करने के लिए डिस्ट्रिब्युशन का काम पार्लियामेंट से ले लिया। उन्होंने एक छोटा सा मिसाल दिया है कि आज इंगलैंड की कौंसिल है उसमें करप्शन ज्यादा है, बनिस्पत पार्लियामेंट के। क्यों ज्यादा है, उसका उल्लेख किया है। उसके क्या रीजन्स हैं उन्होंने कहा है...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय... ...

**श्री अध्यक्ष**: आपको क्या ऑब्जेक्शन है?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: My objection is that the amendment cannot be moved It is inconsistent with my amendment. With his amendment my amendment becomes absolutely useless.

**श्री अध्यक्ष**: How is it ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : He says that proviso to Section 15 should be deleted altogether. He means that it should be deleted altogether and everybody should get Khatedari rights. That means my amendment, which is to amend that proviso, also drops altogether.

**श्री अध्यक्ष** : He says he only wants to know what schemes you have for rehabilitating landless people.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That I can tell him. It is not possible for me to bring all schemes here. Let the Hon. Member come to me and I will show him all the schemes.

**श्री अर्जुनदास** : १५ मिनिट के बाद यह एक्सप्रेशन कहां से आ गया ?

**श्री पी. के. चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस ज्यादा मालूम नहीं है। मंत्री महोदय ने अमेन्डमेन्ट पेश किया था, मैंने भी ओरीजिनल प्रोविजो के लिए भेजा था। तो आपके सेक्रेटेरियेट से यह जानकारी हुई कि नलीफाइंग अमेन्डमेन्ट तो पेश नहीं कर सकते लेकिन ओरीजिनल में पेश कर सकते हैं, इसीलिए ओरिजिनल में है। तो मैं आपको बता रहा था कि ....

**श्री अध्यक्ष** : Is it strictly relevant to this amendment ?

**श्री पी. के. चौधरी** : Yes, it is very much relevant, Sir. My reason to request......

# Page No.43



**राजस्व मंत्री**(श्री दामोदरलाल व्यास) : But the question is whether an amendment can be moved by the Hon. Member or not ?

**श्री पी. के. चौधरी :** My reason s for moving the amendment are two.

अमेन्डमेन्ट मूव करने के दो रीजन्स हैं, दो मकसद हैं। एक मकसद तो यह है कि जो जमीन खेती की होती है, जिनको उसके खातेदारी राइट्स प्राप्त होने चाहिए कानून के माफिक, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि फलाने टिनेन्सी एक्ट में इस ढंग से लागू होगा और फलाने में दूसरे ढंग से। मैं समझता हूं कि यदि यह डिस्क्रिमिनेशन होता है तो नहीं होना चाहिये। इस एक्ट के मातहत जो एरिया है, जिस एरिया को फर्टाइल बना रहे हैं, खातेदारी के राइट्स एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स के हाथ में देना चाहते हैं तो उससे उसमें करप्शन और देते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि और आपका ध्यान एक्जीक्युटिव राइट्स देने के बारे में तमाम इंगलैंड में गवर्नमेन्ट लेवल पर जितने करप्शन के केसेज चले हैं उनमें काफी सारगर्भित बातें हैं और उस विषय में एक किताब निकली है ग्रामर ऑफ करप्शन्स के नाम से। उसमें रीज़न्स दिये हैं, मिसाल दी है। बाई करेक्टर दूसरे लोगों से ज्यादा ओनेस्ट हैं, इन्टीग्रिटी के हैं। हम देखते हैं वहां भी डिस्क्रिमिनेशन था। मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट और मिनिस्टर ऑफ कान्सिल में डिस्क्रिमिनेशन है। ग्लाइड ने बताया है कि जो अधिकार थे डिस्क्रिमिनेशन के वे छीन लिये। वे मिनिस्टर ऑफ कौंसिल के पास रह गये। उन्होंने जो कोट किया है वह मैं आपको बता देता हूं :

"The state of British Municipal Government gave no room for complacency. It was much inferior to parliamentary Government and the reason is doubly suggestive. The councils were less honest than Parliament because the temptations of dishonesty were enormously greater. The work of the councils touches commercial life at a hundred points. A council gives valuable contracts, increases the value of land by building houses and roads, rents the shops and markets, stalls, assesses rates, appoints and promotes officials and controls trade in a number of ways. There are many favours to dispense and some councillors and some officials have not resisted the temptation to exact a dispensing fee.

The possibility of corruption breeds corruption just as surely as carcasse attracts the vultures."

इनका जो कोन्क्ल्यूजन था वह वही था। जो पोसिबिलिटीज़ हैं उनको हमें जितना चाहें कम करना चाहिए। जितनी पोसिबिलिटीज़ को हम बढ़ायेंगे वे उसी तरह से बढ़ेंगी जैसे कि मुर्दे के पास स्कल्चर आता है वैसे ही करप्शन आता है। इसलिए मैंने प्रोविजो को डिलीट करने का मूव किया है। इसकी दो वजह है: एक तो इससे जो डिस्क्रिमिनेशन किया है यह इन्इक्वीटस है। किसी को यदि राइट्स मिल गये तो डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं रखना चाहिए और यदि रखना हो तो सब ही पर वह लगाना चाहिए। ये. फेवर करने के पावर्स दे रहे हैं एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स को। पटवारी जाकर फैसला करेगा तो इससे करप्शन ही बढ़ेगा। दूसरा मैं

(श्री पी० के० चौधरी)

कहना चाहता हूं कि लैंड पोलिसी हम देख रहे हैं, लैंड के बारे में तरह तरह के छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते हैं । अध्यक्ष महोदय, एक दफा मैंने अर्ज किया था, यह एक्ट आता है तो ओरीजिनल कॉपी उसकी हमको मिलनी चाहिए । एक वर्ड या फ्रेज इधर-उधर कर देने से हो यह जाता है कि उसमें बड़ी रद्दोबदली हो जाती है, रेडिकली वह चेन्ज हो जाता है । इस तरह से अमेंडमेंट्स आते हैं तो यह समझ में नहीं आता है । हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या पास कर देते हैं । इसलिए मैं पीस मील लैंड लेजिस्लेशन के खिलाफ हूं उसका कोई मतलब भी नहीं होता । उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, वह प्रोपर प्रोस्पेक्टिव नहीं मिलता । यदि इस तरह से पीस मील में लेजिस्लेशन पास करते हैं तो यह भी हो जाता है कि कभी एक दफा जो आग्युमेन्ट दिये गये दूसरी दफा पीस मील में पास करने से, कॉन्ट्रेरी लेजिस्लेशन लेते हैं तो वे कॉन्टेरी आगुमेन्टस दिये जाते हैं । इसलिए वह साइन्टिफिक नहीं होता है । यह जो प्रोविज़ो है वह रखने की जरूरत नहीं है जब कि आगे जाकर सीलिंग मुकर्रर कर लेते हैं । सीलिंग के बाद इस प्रोविज़ो का कोई मतलब नहीं होगा । यदि सीलिंग फिक्स कर लेते हैं तो एक किसान जमीन में खेती करता है तो कर लेगा, क्योंकि.......

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): What is your proposal regarding promotion and betterment charges that the Government would be realising from those people who would be allotted these lands. Wherefrom the investment of Rs. 64 crores has to come for Rajasthan Canal etc. ?

**श्री पी. के. चौधरी** : उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा । आप पहले जवाब दें कि how will you stop the corruption ? हम लेजिस्लेशन लाते हैं लेकिन आखिर हमारी लैंड पोलिसी क्या है ? एक तो यह है जो हम चाहते हैं कि लैंड का इक्वीटेब्ल डिस्ट्रीब्युशन हो और दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि प्रान्त में एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो । मंत्री महोदय ने कहा कि लैंड लैस को बसाना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो राजस्थान का कल्चरेबल एरिया है, कल्टीवेबल एरिया है वह तो ३० परसेन्ट है और लोग उस पर खेती करते हैं लेकिन ६० पर्सेन्ट के करीब ऐसा एरिया है जिस पर आज लोग खेती नहीं करते । जो अगर सरकार लैंड लेस को बसाना चाहती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है तो जो एरिया अभी हमारे पास है, कल्चरेबल एरिया हमारे पास है उसी को रीडिस्ट्रिब्यूट करने से कोई फायदा नहीं, यह कोई इफेक्टिव नहीं होगा । ज्यादा इफेक्टिव तो यह होगा कि जो ६० पर्सेन्ट एरिया हमारे पास वेस्ट (waste) पड़ा है, कल्चरेबल एरिया है, उसमें लाकर लोगों को बसा सकते हैं । फिर यह कहा जाता है कि यह तो हम इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन करने के नाम से करते है, यह समझ में नहीं आता है । जब इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्युशन के लिए सिलिंग करने जा रहे हैं तो कोई ज्यादा उससे जमीन नहीं रख सकता है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्युशन के लिए मैंने पता लगाया है, मैंने सोचा कि रूस में क्या है इसका पता लगाया जाय । रूस का जो पार्लियामेन्टरी डेलीगेशन यहां आया था तो मैंने मेम्बरों से और स्पीकर से पूछा था कि वहां पर सिलिंग है या नहीं । मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सिलिंग रखी

(श्री पी. के. चौधरी)

है । उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहां कोई निश्चित सिलिंग नहीं है क्योंकि हमारे यहां जमीन की कोई कमी नहीं है, कोई जमीन की स्केयरसिटी नहीं है । फिर हमने पूछा कि इर्रिगेटेड लैंड पर एरिगेशन टैक्स ज्यादा लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पानी बहुत है इसलिए यह सवाल भी नहीं उठता । लेकिन सीलिंग का सवाल हमारे सामने नहीं है । हमारे सामने केवल वह चीज है कि जो जमीन जिसके पास है उस पर खेती कर सकते हैं । अगर वे खेती नहीं करते हैं तो जमीन ले लेंगे । सब से अच्छा और साइन्टिफिक ढंग यही है । हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है । एक तरफ तो हम सीलिंग कायम कर रहे हैं और दूसरी ओर जमीन पड़ी हुई है, उस पर खेती होती नहीं । इस प्रकार की भूमि को कल्टीवेशन के लिये लेने हेतु सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी । सरकार को जिसमें मेहनत करनी पड़ती हो उस तरफ तो ध्यान नहीं देते । केवल एक स्लोगन के रूप में कि हम जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा किया जा रहा है, इससे बैड प्रीचिंग होता है । स्लोगन्स से देश की उन्नति नहीं हो सकती ....

१.१ म. प.

**श्री अध्यक्ष :** Please be relevant to the amendment.

**श्री पी० के० चौधरी :** It is very relevant.

**श्री अध्यक्ष :** Dont make a General speech.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** It is against the...

**श्री पी० के० चौधरी :** It is not.

**श्री अध्यक्ष :** Please wind up your speech by being relevant.

**श्री नाथूराम मिर्धा** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य लेबर क्षेत्र से आगे हैं, उस क्षेत्र की बातें अच्छी कर सकते हैं । उनसे मेरा यह निवेदन है कि वे इस पंचायती में भाग न लें । वे अपने दृष्टिकोण वहीं तक सीमित रखें तो अच्छा होगा, लेन्ड पॉलिसी के बारे में आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य :** उस दिन ज्यादा नहीं बोले इसलिये आज बोल रहे हैं ।

**श्री पी० के० चौधरी :** मेरे कहने का मतलब यह है कि लैन्ड लेजिस्लेशन हम जितने भी बनावें उनमें कोम्बीनेशन होना चाहिये, सिर्फ स्लोगन्स से केरी आउट नहीं हो सकते । इसमें जो प्रोविज़ो रखा गया है वह आवश्यक नहीं है । अगले सेशन तक तो आप सीलिंग रखने जा ही रहे हैं, उसके अनुसार एक आदमी को जितनी जमीन मिलनी चाहिये वह उतनी ही जमीन प्राप्त कर सकेगा तो वैसी हालत में यह प्रोविज़ो रखना कोई मायने नहीं रखता । माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि लैन्ड इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा कहां से निकाले, उसके लिए मेरा यह कहना है कि आप दूसरा लेजिस्लेशन ला सकते हैं । इस प्रोवीज़ो के अन्तर्गत आप खातेदारी राइट्स न देकर पैसे ज्यादा लेना चाहते है, यह ज्यादा अच्छा नहीं है, यह ठीक नहीं है । इम्प्रूवमेंट का जो खर्चा होता है उसको दूसरे तरीके से वसूल कर सकते हैं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** What about my objection ?

**श्री अध्यक्ष :** It had already been accepted. That is the whole trouble.

**श्री श्री भानसिंह :** He has misutilised the right.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** He has perhaps agreed to my amenement.

**श्री श्रीभानसिंह :** He is one of the speakers who mis-utilise his time.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जिस समय यह बिल विचारार्थ लिया जा रहा था उस समय जो चर्चा हुई उस पर माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि अगर यह बिल नहीं लाते हैं तो केनाल एरिया में किसको कितनी जमीन देंगे इसका पता नहीं रहेगा और इस तरह से लेन्डलैस टीनेन्ट्स जमीन मिलने से वंचित रह जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न तो अलग है, किसको कितनी जमीन मिलती है। इसके जरिये कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक जमीन रख सकता है। अगर किसी के पास अधिक जमीन है तो सीलिंग के कायम होने के बाद उससे वापिस ली जा सकती है। हमारे सामने सीलिंग का प्रश्न आ रहा है, हम जल्दी ही सीलिग का निर्धारण करने जा रहे हैं तो वैसी हालत में अगर किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में अधिक जमीन दे दी जाती है; जैसे जवाई, चम्बल आदि क्षेत्र में जहां यह बिल लागू है तो इस प्रोवीज़ो के रखने से तो यह हो जायगा कि जितनी भी जमीन दे दी जायगी वह उसी के पास रहेगी। जब हमारे राज्य में सीलिंग लागू करके हम जमीन का स्टैन्डर्ड कायम करेंगे तो वैसी हालत में अधिक जमीन जो होगी तो उसको वापिस लिया जा सकता है। वर्तमान जमीन पर खातेदारी राइट न दे करके सीलिंग एप्लाई करते हैं उस समय किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो जो व्यक्ति के पास पहले से जमीन है वह लेन्ड लैस हो जायगी। सीलिंग का कानून जब आ रहा है कि इससे अधिक जमीन जिसके पास होगी उसको ले लिया जायगा, ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से यह प्रोवीज़ो रखना आवश्यक नहीं।

सारे लैन्ड सम्बन्धी जितने भी कानून हैं उन सब को साथ लेकर विचार करें तो श्री चौधरी जी ने जो पिक्चर रखी वैसी हालत हो सकती है, यह प्रोविज़ो रहता है तो एग्ज़ीक्युटिव के पास अधिकार रहेगा, इस तरह से जो शंका श्री चौधरी जी ने रखी है वह बल पकड़ती है। जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास अधिकार रहेगा जमीन देने का तो आप खातेदारी राइट्स मिलने दो। सीलिंग लागू होगा, उनके पास ज्यादा जमीन होगी वह छीन ली जायगी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन हमारा आपसे है कि जिस कानून के के अन्दर अमेन्डमेंट्स आते हैं उस कानून की एक प्रति माननीय सदस्यों के पास भी होनी चाहिये ताकि जो भी अमेन्डमेन्ट्स मूव किये जाते हैं उनसे सारे बिल पर क्या असर पड़ता है? यह भी देखने को हमें मिल जाय यदि एक्ट की कॉपी हमें मिल जाती है तो हमें अपने सुझाव देने में अधिकाधिक सुविधा रहेगी।

**श्री मदनसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर जो भाषण हुए उनको सुना और मैं नतीजे पर पहुँचा हूं कि जो चीज़ माननीय मन्त्री महोदय ने रखी है वह सही है और वही चीज़ होनी चाहिये। जब एक बार यह पास हो चुका है तो मैं इसका विरोध नहीं करता।

# Page No.47



**श्री दामोदरलाल व्यास :** क्या आप मेरे अमेन्डमेन्ट का विरोध नहीं करते.. ....

**श्री मदनसिंह :** जी हां।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** (अश्रव्य)

**श्री श्रीभानसिंह :** (अश्रव्य)

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डिंग बिल हमारे सामने है, उस पर जो १५ ए में अमेंड मेन्ट रखा है उसमें एक नया क्लॉज़ एड करने को कहा है। १५ क्लॉज़ अकेले में अमेन्डमेन्ट करने के लिये कोई प्रस्ताव आता है तो यह अमेन्डमेन्ट हो सकता है लेकिन इसके साथ-साथ राजस्व मंत्री ने जो ऑपोर्चुनिटी सीक कर ली है उसके अनुसार उनका १५ में अमेन्डमेन्ट मूव करना गलत था और इसके साथ-साथ माननीय सदस्य जो १५ ए में अमेन्डमेन्ट लाए हैं वे भी गलत हैं। दोनों अमेन्डमेन्ट्स को मैं समझता हूं, प्रेस न किया जाय। राजस्व मन्त्री महोदय को यह विदित है कि १५ क्लॉज़ पहले से है यह सब टीनेन्ट और खुदकाश्त टीनेन्ट पर लागू नहीं होता इसलिये जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह रिडन्डेंट है अगर यह लाया जाता है तो जितना जागीरी एरिया है जो शिकमी काश्तकार थे जिन्होंने खातेदारी के लिये एप्लीकेशन रखी है वे बिना मुआवजे के खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। पड़त जो जमीन थी और जिस पर काश्त करते थे उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अगर यह अमेंडमेंट पास हो जाता है तो जितने भी गैर खातेदार काश्तकार थे उनको खातेदारी के अधिकार नहीं मिलेंगे। इससे जो हम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं उसकी स्पिरिट ही खत्म हो जायगी।

श्री पी. के. चौधरी ने और श्री माथुर साहब ने एक–दो कारण बताये थे कि सीलिंग बाद में आ रहा है इसलिये प्रोविज़ो न रखा जाय। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने टीनेन्सी एक्ट पास किया था उस समय सारे तथ्य और सारी बातें हमारे सामने थीं, वह भाखरा चम्बल एरिया में परमानेन्ट काश्तकार पर लागू नहीं होते क्योंकि उनको खातेदारी के अधिकार मिल गये हैं। टेम्परेरी काश्तकार, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है उसके लिये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की यह पालिसी होती है कि सैकड़ों बीघा जो जमीन है, जिनको टेम्परेरी तौर पर मिली हुई थी सरकार ने उनके लिये आमदनी का जरिया किया उनको मुफ्त में सरकार अधिकार दे दे और इस प्रकार उनके टेम्परेरी अधिकार रखे जायं। मैं मानता हूं, टेम्परेरी काश्तकार अगर दस बीघा या १५ बीघा का होगा तो सरकार कानून नहीं बनाने वाली है कि इसको भी छीन लिया जावे। पर आप जैसा चाहते हैं वह चीज़ उचित नहीं होगी कि इस वक्त तो जितनी भी जमीन उनके पास है वह उनको दे दी जावे, चाहे हजार बीघा हो या अधिक हो या कम हो और जब वहां नहर जावेगी तब उसकी कीमत बहुत बढ़ जावेगी और फिर उनको उनमें कमाने की, ऊंचे ऊंचे भावों पर बेचने की खुली छूट हो। या अगर सरकार भूमिहीनों को जमीन बांटने को हो तो वह जमीन उनको कम्पेन्सेशन देकर ली जावे या सीलिंग किया जावे। सीलिंग भी अगर करेंगे तो कम्पेन्सेशन सरकार को और देना पड़ेगा। तो अभी से अभी क्यों नहीं सरकार उसे अपने अधिकार में रक्खे और जरूरत के अनुसार भूमिहीनों में बांट दी जावे? इसलिये इस अमेंडमेंट को नामन्जूर किया जावे और आप अपना (संशोधन) विद्ड्रा कर लें।

**श्री श्रीभानसिंह** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री श्रीमानसिंह)

जो ऑब्जेक्शन अभी अभी माननीय सदस्य ने उठाया उसको मैं ठीक समझता हूं और उसके सपोर्ट में बोलता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : Both the amendmets have been accepeted for discussion. it is very late to support it.

**श्री श्रीमानसिंह** : I can challenge their legality at any time.

**श्री अध्यक्ष** : They have already been accepted for discussion. We have accepted it for discussion.

**श्री श्रीमानसिंह** : Both the amendments ?

**श्री अध्यक्ष** : Yes.

**श्री श्रीमान सिंह** : Section 16 of the original Bill !

**श्री अध्यक्ष** : Yes.

**श्री श्रीमानसिंह** : इसके खिलाफ भी बात हो सकती है न ? If it is ruling of the Chair, then...

**श्री अध्यक्ष** : Yes, Mr. Girdhari Lal.

**श्री गिरधारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है उसके पक्ष में मैं बोल रहा हूं। जिस भूमि के सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है उस भूमि पर जो काश्तकार आज सैकड़ों सालों से काश्त करता चला आया है और जो अब नहरी एरिया होने जा रहा है वहां नहरी एरिया में इस तरह के खातेदारी राइट उसको नहीं देना, उचित नहीं है। इसका साफ अर्थ है कि उनको सरकार भूमिहीन बनाने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मन्त्री महोदय ने बताया कि हमारा नहरी एरिया में नहरें लाने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, पर मैं इसके लिये निवेदन करूं कि सरकार आबियाना लेती है उसके लिये, भूमिकर के रुप में वसूल करती है। पर सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति स्पष्ट नहीं है। इस एरिया में तो इन काश्तकारों को सरकार की स्पष्ट नीति के अभाव में खातेदारी राइट तो धारा १५ के अनुसार कभी के मिल जाने चाहिये थे। पर वे राइट उनको नहीं दिये गये। यह सरकार की नीति अच्छी नहीं है।

एक तरफ आप कहते हैं कि भूमिहीनों की समस्या हल करनी है दूसरी तरफ आप इस कानून द्वारा इस किसान वर्ग को अहित पहुँचा रहे हैं। अब यह कहना कि फलां नहरी एरिया में मकान या जमीन है इसलिये खातेदारी राइट नहीं मिलने चाहिये, यह उस किसान के प्रति अन्याय है। हमारी नीति एक होनी चाहिये और स्पष्ट होनी चाहिये और भूमिहीनों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि भूमिहीनों की समस्या जो पहले से ही कायम है वह भी हल न हो और इस कानून से नये भूमिहीन बढ़ जाएं और इस तरह से भूमिहीनों की समस्या बजाय घटने के और बढ़ जाय। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भूमि के बारे में एक स्पष्ट नीति अपनावें।

**श्री अर्जनदास** (अजमेर पश्चिम) : १५ ए आपने लिख दिया है और लाइन नम्बर ५ में On this bill, I request the Hon. Member-in-charge of the Bill, to make two things clear which are not clear to me. After reading this suggested amendment of this amending Bill, Section 15-A- at line 5 I could not follow things atleast and I believe both the things are ambiguous and it

(श्री अर्जुनदास)

should be made clear. The first thing is that land in the Rajasthan canal area will be leased out on or after the commencement of this Act: what is being suggested by the words 'on or after'? Is it being suggested that any lease that has taken place before the coming into force of this Act and the lease is in existence on the day when the Act came into force. Is that lease also covered up?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री अर्जुनदास : He must be clear. It is doubtful about the intention of the House.

श्री अध्यक्ष : This Act, Amending Act or the original Act; the other is of course.

श्री दामोदरलाल व्यास : We are going to answer in the original Bill. He will read and it will be clear to him.

श्री अर्जुनदास : Of course, I understand, if any amending Bill is introduced, it must be original Act. Why you use this, this Act? Why you use 'this'. Because after the amending Bill is passed... that instead of the word "this", the better would be 'the'.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am quite certain it is as originally passed by this House and which is in force now and this force is necessary in this Amending Act.

श्री अर्जुनदास : What I mean is this. 'the' will be absolutely beyond doubt. We wish, if you can make it more clear. That is all I suggest.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is better it is provided.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह पढ़ना उसमें पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा उत्तर दे दीजियेगा इसका।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक अमेन्डमेन्ट तो मेरा है और एक दूसरे माननीय सदस्य का जो प्रोविज़ो को डिलीट करने के लिये रक्खा; जैसा मैंने अर्ज किया वैसा तो डिस्कस हो चुका है, उसके लिये नहीं कहूंगा। पर अपने अमेन्डमेन्ट की दलीलें पेश करते हुए माननीय सदस्यों ने सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ कहा है। इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह सब कुछ कहते हुए मूल बात पर गौर नहीं किया। एक डेफीसिट एरिया है, कोई सिंचाई के साधन वहां नहीं हैं, पैदावार की दृष्टि से अच्छी जमीन नहीं है। एक-एक आदमी सौ-सौ, तीन-तीन सौ बीघा जमीन काश्त करता है तब भी आमदनी का जरिया उसका पूरा नहीं पड़ता। ऐसे एरिया में अगर आज सरकार लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करके नहर लाती है तो अच्छा इर्रिगेशन होगा, फसलें बहुत अच्छी होंगी। ऐसी सूरत में अगर इस एरिया को सरकार रिज़र्व में नहीं रक्खे और हरेक को खातेदारी राइट दे दे और कह दे कि मरजी

( श्री दामोदरलाल व्यास )

आवे उतनी जमीन लो और अपने कब्जे में कर लो तो इसका नतीजा यह होगा कि लैंड लैस टीनेन्ट्स के लिये जमीन नहीं बचेगी और वह जमीन वेस्टेड इन्सरेस्ट्स के कब्जे में चली जावेगी जो बेच कर पैसा बनावेगा। फिर वे कहेंगे सीलिंग लगाओ और कम्पेन्सेशन दो। तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ऐसा हो। फुलेरा से आने वाले सदस्य तो और भी आगे बढ़ गये कि उनको पूरे राइट्स दे दो जवाई; चम्बल और भाखरा आदि सब जगह उनको राइट्स दे दो। मैं कहता हूं आज जहां वे तीन-तीन चार-चार सौ बीघा जमीन काश्त कर लेते हैं वहां इरिगेशन के साधन हो जाने के बाद मुश्किल से पचास बीघा से ज्यादा काश्त नहीं कर सकेंगे। अब इसके बावजूद वे कहते हैं कि खातेदारी राइट्स दे दो और ५५ से दे दो। मैंने पूछा कि यह तो बताइये कि बैटरमेन्ट लेवी के बारे में आप क्या कहते हैं ? तमाम राइट्स तो दिला रहे हो तो उसके लिये क्या कहते हो। उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कोई उसका जवाब नहीं है, तो मैं यह अर्ज करूंगा माननीय सदस्य से कि जब वह किसी अमेन्डमेन्ट को पेश करें तो सही दृष्टिकोण को वह पहले सामने रखें। पर जब गवर्नमेन्ट से कहते हैं कि इसको डिलीट कर दो तो फिर गवर्नमेन्ट की भी तो डिफिकल्टी देखनी चाहिए। गवर्नमेन्ट के वेज़ एण्ड मीन्स को देखना चाहिए कि जब करोड़ों रुपया हम इन इर्रिगेशन प्राजेक्ट्स पर खर्च करते हैं तो उस रुपये का भी इन्तजाम करना पड़ता है, तो उसके लिए यह जवाब मिलता है कि इसको हम बाद में कहेंगे। यहां पर my friend has argued कि जिसका कोई सम्बन्ध नहीं था। मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है माननीय अध्यक्ष, उसके लिए मुझे यह अर्ज करना है कि यह अमेन्डमेन्ट सिर्फ most innocent amendment है। इसलिए मैंने पेश किया। इसमें न तो किसी को नुकसान है और न फायदा है। हमारे माननीय सदस्य जो वल्लभनगर से आये हुए हैं उन्होंने दलील दी कि जो राइट्स एप्रूव्ड हो गये हैं वे राइट्स लिये जा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं इनकॉन्सिस्टेन्सी हो, हो सकता है कि किसी के राइट्स मिलते हों या जाते हों, लेकिन जो एनोमोली पैदा हो गई उसको तो दूर करना आवश्यक है। सेक्शन १५ में कह दिया है कि राइट्स मिल गये हैं और सेक्शन ८० में कह दिया है कि नहीं मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कान्ट्रेडिक्टरी बातें हैं और जो लॉ में गलतियें रह जाती हैं उनको दूर करना जरूरी है। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट जो मैंने पेश किया है वह सही किया है। मैं नहीं समझता कि दांता रामगढ़ के माननीय सदस्य जो यहां अभी तो थे, उन्होंने फोर्स किया कैसे ? बाकी मैं समझता हूं कि It is a mater of reading both the Sections and it is a matter of inconsistency. इतनी बहस होने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो आज आपको सपोर्ट किया था।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : हां, सिर्फ इसलिए कि टीनेन्सी एक्ट का अमेन्डमेन्ट है। मैं कहता हूं कि दूसरा मतलब इससे निकल ही नहीं सकता।

(अश्रव्य)

इसलिए मैंने उसको पेश किया।

श्री अध्यक्ष : श्री पी.के. चौधरी

**श्री पी. के. चौधरी** अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने डिफिकल्टी की बात बताई है उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं कि बैटरमेन्ट लेवी देने में दिक्कत होगी। आखिर जब आप जमीन एक्वायर करेंगे, सीलिंग करने के बाद में, तो गवर्नमेन्ट की वजह से जो वैल्युएशन बढ़ती है वह कम्पेन्सेशन नहीं देंगे और न कोई हमसे दिला सकता है। शहर में भी हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जो जमीन एक्वायर करता है वह भी नहीं देता है। यह चीज मैं नहीं मानता हूं और जो आर्ग्युमेन्ट उनके अमेन्डमेन्ट के पीछे है उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं लेकिन फिर भी जो मेरा अमेन्डमेन्ट है उसको मैं पेश नहीं करना चाहता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि उसे वापिस लेने की इज़ाज़त दे दी जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी०के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की उन्हें इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my amendment.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि नया क्लॉज़ १ (ए) जो राजस्व मंत्री महोदय ने रखा है वह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ। परिणाम स्वरूप खण्ड १ ए विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २

खण्ड २ (नयी धारा १५ ए जोड़ना)

खण्ड २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ३ (निरसन)

**श्री अध्यक्ष** : नया क्लाज़ ३ जोड़ने सम्बन्धी राजस्व मन्त्री का अमेन्डमेन्ट है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत ही फोर्मल सा अमेन्डमेन्ट है क्योंकि आॅर्डिनेन्स पास कर दिया था इसलिए उसको रिपील करने का सवाल था। This is a formal amendment.

यह अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"3. Repeal-The Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1958 (Ordinance II of 1858) is hereby repealed."

(विराम)

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि नया क्लाज़ ३ धिधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

नया क्लाज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( श्री अध्यक्ष )

खण्ड ४ (प्रथम परिशिष्ट में संशोधन)

नया खण्ड जोड़ने का श्री राजस्व मन्त्री का संशोधन इस प्रकार है :

4. "Amendment of the first Schedule to Rajasthan Act 2 of 1958:—

In part A of the First Schedule to the Rajasthan Revenue Laws Extension) Act, 1957 (Rajasthan Act 2 of 1958):—

(1) in item (xii) of the entry relating to section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) the words "or a small holder" occurring in subclause (a) of the newly substituted clause (43) shall be omitted, and

(ii) in the entry relating to section 15A" newly inserted in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)—

(a) for the figures and letter '15 A' substitute the figures and letter '15 B', and

(b) after the word and figures 'section 15" insert "and in section 15 A" and

(c) after the word and figures "section 16" occurring in line four of the newly inserted Section insert 'and clause (d) of subsection (1) of section 180".]

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

**श्री तनसिंह** (बाडमेर) : मेरा एतराज यह है कि अभी जो चर्चा छिड़ गई थी कि हम जिस कानून में तब्दील करने के लिए जो कानून ला रहे हैं वह कानून है टीनेन्सी एक्ट। उस एक्ट में तब्दील करना चाहते हैं इस अमेन्डमेंट के जरिये। अब जो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह बात है कि जो टीनेन्सी एक्ट का सैक्शन १५ है वह यह शो करता है कि चम्बल और भाखरा वगैरह मिल गई थीं। अब मेरा निवेदन यह है कि यह स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के बाहर पड़ता है। जो टीनेन्सी एक्ट है आप उसको बदल रहे हैं, राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ एण्ड एक्सटेन्शन को भी बदल रहे हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि यह ऑडिनेन्स में नहीं आये और सरकार के लिए यह इतना आवश्यक नहीं है। उस वक्त इस अमेन्डमेन्ट को यहां पेश न करें। आप एक कानून को ला रहे हैं। इसके प्रिएम्बल में यह दिया हुआ है : "whereas it is expedient to amend to Rajasthan Tenancy Act, 1955..."

और जो बिल का हैडिंग है, वह तो टीनेन्सी एक्ट को बदलने का है। इसके साथ ही साथ आपने रेवेन्यु लॉज़ एक्सटेन्शन बिल को भी संशोधित करना चाहा है तो मेरा निवेदन यह है कि जो अमेन्डमेन्ट्स करने हैं वे तो आप कर दीजिए और इसका कुछ करना है तो इसके लिए अलग से बिल आये। आज इतनी जल्दी देख कर यह नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पलीकेशन्स हो सकते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपका संबंध नहीं है।

**श्री तनसिंह** : क्या पता अब वहां संबंध निकल जाये ? तो अब बिना देखे-सुने हमारा संबंध नहीं हो सकता तो दूसरों का हो सकता है, बिना देखे बिल में संशोधन किया जा रहा है। एक अमेन्डमेन्ट के ढंग से इसको मानते हैं तो यह एक अजीब परम्परा हो जायेगी, क्योंकि अभी तो यह बात कह रहे थे कि जो स्कोप है किसी बिल का उसके अन्दर तो अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के बाहर जाकर भी दूसरे कानून में सिर्फ एक अमेन्डमेन्ट सदस्य की हैसियत से पेश किया, अगर इस अमेन्डमेन्ट को रखने की अनुमति दी जायेगी तो वह एक नई परम्परा कायम हो जायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : यह जो क्लॉज़ अभी पेश किया गया है वह मेरे ख्याल से कॉन्सी-क्वेन्शियल है। आप (राजस्व मंत्री) एक्सप्लेन कर दें कि क्या स्कोप है इसका ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : इसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि पहले से....

**श्री अध्यक्ष** : That objection is well taken.

**श्री दामोदर लाल व्यास** : एक मिनिट पहले रेवेन्यु लॉज़ एक्सटेन्शन एक्ट था उसको सुनेल, अजमेर और आबू एरिया में एक्स्टेन्ड किया गया था। आगे आप इसके शिड्यूल 'ए' और 'बी' को देखेंगे तो actually these are the schedules. यह बात नहीं हैं कि अलग कोई कानून बना रहे हैं, बल्कि इस कानून के जरिये एक अमेंडमेंट प्रोपोज़ किया गया था। लैण्ड टीनेन्सी एक्ट से अलग कानून नहीं है। These are amendments in the Rajasthan Tenancy Act, 1955: These amendmeats have been inserted in the entries butnotin the Tenancy Act. Therefore, my amendments are perfectly in order and my friends need not be confused over this.

दूसरी बात यह है कि यह अमेंडमेंट के अलावा क्या है जिसके ऊपर कि विचार करने की आवश्यकता नहीं है ? अमेंडमेंट यह है कि नं. ४ में 'स्माल होल्डर' को शामिल किया जाय।

"In item No. (xii) of the entry relating to Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) the words 'or a small holder' occuring in sub-cluse (a) of the newly substituted Clause (45) shall be omitted."

माननीय अध्यक्ष, जब अमेंडमेंट किया गया था जो 'स्माल होल्डर' है आबू एरिया का वह स्माल होल्डर दरअसल काश्तकार की किस्म का होगा, यह समझा गया था। फर्दर इन्क्वायरी से मालूम हुआ कि 'स्माल होल्डर' काश्तकार नहीं था बल्कि स्माल लैण्डलॉर्ड है। मुसीबत यह थी कि उनको काश्तकार समझ कर टीनेन्ट की डेफीनिशन में रख दिया था। That was a mistake and we are omitting it. यह अमेंडमेंट पेश किया गया है। बाकी जो सेकन्ड अमेंडमेंट है वह तो कॉन्सीक्वेंश्यल है कि क्लाज के नम्बर १५ ए के बजाय १५ बी और १५ बी के बजाय १६ होना चाहिए। अब कोई एतराज हो तो देख लें।

**श्री अध्यक्ष** : अच्छा तो यह होता कि नया एक्ट लाते, लेकिन बिल्कुल ऑर्डिनरी

# Page No.54



( श्री अध्यक्ष )

अमेंडमेंट है और इसका कोई सब्सटेन्श्यल फर्क नहीं पड़ता है; इसलिए इसको स्वीकार किया जाता है। जो आपने कहा वह ध्यान में था।

**श्री श्रीभानसिंह** : इसकी परमिशन तो लें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है, कि क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी (सेकन्ड अमेन्मेंट) बिल, १९५७ को पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१. ३४ म० प०

## राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड समेरी सेटिलमेंट (अमेंडमेंट) बिल १९५८, को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (विराम) प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

**खण्ड २** (नई धारा ८ ए जोड़ना)

क्लॉज़ २, श्री अनूपसिंह।

**श्री अनूपसिंह** (बलोतरा) : संशोधन इस प्रकार है।

"Insert the words after hearing the parties concerned' between the words 'Settlement officer' and 'is satisfied' occurrring in the third line of Sub-section (1) of Section 8 A sought to be inselted in the principal Act" )

अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ एक मामुली सा एमेंडमेंट है जो कि मैंने अर्ज किया है। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो जाय कि एक-दो वर्ष में ऑफिसर और कोई पार्टी

( श्री अनूपसिंह )

के बीच में इस बात की गलतफहमी रह जाय कि ऑफिसर कुछ कर दे और वह चीज़ वहां पर अलग नहीं आती हो जिसकी इसमें सफाई की गई है। पार्टीज़ वालों में आपस में किसी तरह का टंटा हो, लैण्ड होल्डर और जो वसूल करता है उनके बीच में। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सेटलमेंट ऑफिसर पहले इसके कि काइन्ड रेन्ट की जगह केश रेन्ट ले इस बात को पक्का कर ले कि क्या दोनों पार्टियों के बीच में आपस में टंटा तो नहीं है। दोनों को हियरिंग का मौका दे और दोनों को सुन ले कि किसी तरह का उनमें आपस में तो टंटा नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ ऑर्डर देना चाहे दे दें। इस लिहाज़ से यह बहुत मामूली सा एमेंडमेंट है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि insert the words 'after hearing the parties concerned;' दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछ लें कि कोई टंटा तो नहीं है, वर्ना वह एकतरफा हो जाता है और बाद में टंटा रहता है।

कोई ऐसा सेटलमेंट ऑफिसर होता है जो एक तरफ के व्यू लेकर ऑर्डर देता है तो आगे जाकर गड़बड़ी रहती है और लोग दफ्तरों में फिरा करते हैं, उनका खर्चा होता है, वे तबालत में पड़ते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया था कि नुकसान ज्यादा हो तो मन्जूर कर लिया जायगा, मंजूर कर लें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सेकन्ड क्लॉज़ इसका जो है वह प्रोवीजन ऑलरेडी अपने लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्दर एग्ज़िस्ट करता है और उसमें यह प्रोवीज़न है कि कहीं पर सेटलमेंट होने वाला है और पर्चे तकसीम करने में कुछ देरी हो और सेटलमेंट ऑफिसर यह समझे कि वहां पर स्टेन्ड रिलेशन्स की वजह से या और किसी कारण की वजह से यह हो सकता है कि पर्चे तकसीम करने में देरी हो तो काइन्ड रेन्ट को बन्द कर दे और केश रेन्ट को इन्ट्रोड्यूस करने का एलान कर दे। यह प्रोवीजन है लैण्ड रेवेन्यु के अन्दर कि जहां कहीं सेटलमेंट इन्ट्रोड्यूस करना हो वहां पर यह एनाउन्समेंट किया जा सकता है कि इस इलाके में फलां तारीख से केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस किया जायगा; इसलिए काइन्ड रेन्ट बन्द किया जाता है। समेरी सैटलमेंट एक्ट १९५३ में इनेक्ट हुआ था इसलिए उसमें यह प्रोवीजन नहीं था, और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट ५७ या ५६ में इनेक्ट किया गया है। उसमें प्रोवीजन रखा गया था और इसमें नहीं था इसलिए यह एमेंडमेंट किया जा रहा है। जिस चीज का ऑलरेडी लॉ में प्रोवीजन है और वह राजस्थान के हर एरिया में लागू है, उस एरिया के अन्दर जहां कि समेरी सैटिलमेंट करने की आवश्यकता हो तो वहां उस प्रकार का प्रोवीजन इन्सर्ट करने की या लागू करने की आवश्यकता जब हो तो यह प्रोवीजन किया गया है। माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं और जिसको वह बहुत ही इन्नोसेन्ट एमेंडमेंट बना रहे हैं मेरे लफ्ज़ों में, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, पर बात यह है कि कई प्रक्टिकल डिफिकल्टीज़ इसके अन्दर आजायेंगी पार्टीज़ को नोटिस देने और उनकी हियरिंग के अन्दर क्योंकि

( श्री दामोदरलाल व्यास )

यह एक ऐसा प्रोवीजन है कि जिसमें इमीजियेट एक्शन लेना है। पर्चे तकसीम करने में एक प्रकार की इससे टेक्निकल डिफिकल्टी आयेगी तो उसमें बहुत सा समय चला जायगा। इमीजियेट ऑर्डर देना है, पर्चे तकसीम करना हैं और जिस समय सैटलमेंट को इफेक्ट देंगे तो एनाउन्स कर देंगे कि काइन्ड रेन्ट बन्द कर दिया जाता हैं। वही एक सिम्पल थिंग हैं कि सैटलमेंट इन्ट्रोड्यूस करना है तो आर्डर दे दें कि काइन्ड रेन्ट बन्द करना है और केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस करना है। इस अमेंडमेंट के बाद उनको नोटिस देना होगा पार्टियों को बुलाना होगा और जो लोग यह पसन्द नहीं करेंगे कि काइन्ड रेन्ट बन्द करके केश रेन्ट कर दिया जाय वे दिक्कतें पेश करेंगे। इसलिए आवश्यकता और अनावश्यकता का प्रश्न नहीं आता। सेटलमेंट ऑफिसर यह समझे कि इतने दिनों में सेटिलमेंट इन्ट्रोड्यूस कर देंगे और काइन्ड रेन्ट वसूल करने में जागीरदारों और काश्तकारों में झगड़ा होने का अन्देशा हो जिससे कि लॉ एण्ड ऑर्डर में गड़बड़ होगी और आगे जाकर केश रेन्ट तो इन्ट्रोड्यूस करना ही होगा और इससे आगे जाकर उलझनें बढ़ जायंगीं, तो वह एनाउन्स कर सकता है। He can propose, make a proposal to the Government aud can pass such an order. यह नई चीज नहीं है, जैसा कि आपने कहा। This is only a repetition of what we actually have in Land Revenue Act. इसलिए वही प्रोवीज़न लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का इसमें रख रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपने इस एमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे। इसमें कोई बात नहीं है।

**श्री मोगजी** : क्या इस सेटलमेंट एमेंडमेंट का सुझाव दे सकते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : The amendment has been moved, has been replied.

**श्री अध्यक्ष** : सुझाव देने का समय नहीं है। आप और समय देंगे सुझाव।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपका तो इलाका सेटल्ड है।

**श्री अध्यक्ष** : अभी आप तशरीफ रखिये।

**श्री अनूपसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट रखने का असली मतलब था वह यह था कि शायद कोई कॉम्प्लीकेशन बाद में खड़े हों। एक तरफ तो हमें इत्तला दी जाती है कि केश रेंट्स लगाई गई हैं और दूसरी तरफ यह इतला नहीं दी जाती है कि अगर जो रेंट, ऑफिसर लगा देते हैं, उससे संतोष नहीं होता है तो दोनों पार्टियों को बुला कर वे ऑफिसर सेटिसफेक्शन कर लें इसमें कोई लम्बी-चौडी बात नहीं रहती, सिर्फ दोनों पार्टियों को नोटिस देकर बुलाना है क्योंकि जो केश रेंटस लगा रहे हैं उससे वे सेटिस्फाई हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Better bring an amendment in the Land Revenue Act itself, because that is the main law.

हमारे यहां सेटलमेंट का कानून है, and we are in fact issuing orders under that law.

राजस्थान में जब यह कानून लगा तो यह प्रोवीजन रह गया। जब सेटलमेंट का काम करते हैं तो ऐसी चीजें रोजमर्रा होती है कि केश रेट लागू कर रहे हैं या काइन्ड रेंट लागू कर रहे हैं। यह एक लेकुना है, जो यह एक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

'दी राजस्थान लैंड समरी सेटलमेंट एक्ट, १९५३' इस्तेमाल हुआ था, उसमें दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए अमेंडमेंट कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है सेक्शन ८ 'ए' के सब सेक्शन ( १ ) में जो अमेंडमेंट श्री अनूपसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

ये सब क्लॉज़ेज़ एक साथ ले लें।

(विराम)

**क्लॉज़ ३ (धारा ९ में संशोधन)**

क्लॉज़ ३

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

**क्लॉज ४ (धारा ९ ए जोड़ना)**

**श्री तनसिंह** : एक अमेंडमेंट मैंने रखा था।

**श्री अध्यक्ष** : यह लेट आया था।

**श्री तनसिंह** : लेट तो आया, लेकिन मैं उस पर बोल सकता हूं। लेट आने के बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य एतराज करें तो उस वक्त अमेंडमेंट नहीं लिया जा सकता। मैं निवेदन करूं कि जो चीज़ मैं कह रहा हूं वह वाजिब लगे तो मान लें, अगर गलत हो तो न मानें।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : कोरम है, पूरा है।

**श्री तनसिंह** : निवेदन यह है क्लॉज ४ में मेरा, कि जो ९ ए नया सेक्शन जोड़ा जा रहा है : 'Subject to the provisions of Section 8A, the cash rent determined by order of the date commencement of the Settlement Officer under section 9 shall be payable from the date of the commencement of the settlement under this Act unless the Settlement Officer thinks it, for any reasons, to direct that it shall be payable from some earlier date."

तो किस आधार पर, किस सिद्धान्त पर यह कहा जा रहा है, यह मेरे दिमाग में नहीं बैठता।

मेरा जवाब कौन देगा? (श्री दामोदरलाल व्यास की ओर संकेत कर) आप देंगे मेरा जवाब?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं दूंगा।

**श्री तनसिंह** : सुन तो नहीं रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप जवाब को सुन लीजिये। टू दी पाइन्ट न हो, तब कहें।

(विराम)

I am very sorry.

**श्री तनसिंह** : मेरा निवेदन यह है कि अगर पार्टीज़ के रिलेशन्स ठीक नहीं हों, तो वैसे तो सेटलमेंट ऑफिसर केश रेन्ट उस दिन से लगा सकते हैं जिस दिन से कि सेटलमेंट वर्क शुरू होगा।

(श्री तनसिंह)

'... for any reasons, to direct that it shall be payable from some earlier date."

अर्लियर डेट आपने रखी है, तो आप चार साल पहले से भी लगा सकते हैं, १० साल पहले से भी केश रेन्ट ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जिस दिन सेटलमेंट ऑपरेशन होते हैं, उस दिन से एप्लाई करें तो रीज़नेबल बात मालूम होती है। सेटलमेंट ऑपरेशन हुए, उसके पहले से रियलाइज़ किया जाय, यह किसी तरह से भी समझ में आने वाली बात नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : यह जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उसके लिए मेरी वही दलील है, जो मैंने पहले सुझाव के लिए दी। राजस्थान लैंड रेवेन्यू में यह चीज है, इसके अलावा गवर्नमेंट के दूसरे लॉज़ में भी था। लेकिन राजस्थान का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसने निश्चय कर दिया है कि गवर्नमेंट के सेटलमेंट ऑफिसर को इस तरह का अख्तियार होना चाहिए कि वह पहले से एप्लाई कर दे। मैं आपको प्रेक्टीकल डिफिकल्टी बताता हूं। सेटलमेंट ऑफिसर सेटलमेंट की कार्यवाही करेगा कि किस हिसाब से केश रेंट ली जाय, उसके वह पर्चे तैयार करेगा और जैसा मैंने अर्ज़ किया जुलाई के महीने से एग्रीकल्चर का महीना शुरू होता है, इसलिए उसी महिने में सेटलमेंट के पर्चे तकसीम करना चाहिए और एप्लाई करना चाहिए। मान लीजिये कि जुलाई के अन्दर पर्चे तकसीम नहीं हुए और अक्टूबर के महीने में तैयार कर सके तो अक्टूबर के महीने में पर्चे तकसीम करेंगे, तो इससे एक वेक्यूम क्रियेट हो जाता है कि किस महिने से सेटलमेंट माना जाय, इसलिए यह पॉवर इनको दी जाती है कि वे एग्रीकल्चर को बराबर ध्यान में रखते हुए...

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : Sir, feel that there is no quorum.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप चाहते क्या हैं ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : सदन में कोरम नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : डिवीज़न बेल बजा दें।

(एक माननीय सदस्य के पदार्पण पर)।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : कोरम आ गया।

**श्री अध्यक्ष** : कोरम आ गया है साहब।

(हंसी)

**श्री दामोदर लाल व्यास** : मैं निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चर इयर को बराबर ध्यान में रखते हुए वे कार्यवाही करें। इसलिए यह रखा गया है। यह पहले से है, यह कोई नया कानून नहीं बन रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप कितने समय पहले से लगा सकते हैं।

**श्री दामोदर लाल व्यास** : बात यह है कि सेटलमेंट ऑफिसर को राइट्स दिये गये हैं for reasons to be recorded in writing. It depends upon the cricumstances of a particular case. of course he has to take decision on merits of each case, no bard and fast rules can be laid down for any Settlement Officer, to be followed regarding any settlement operation in any settlement area, because then it will create another confusion. These are powers with,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the Settlement Officers and these powers have been upheld by the High Court and Supreme Court.

**श्री तनसिंह** : लेकिन जनरल डिसीज़न से पहले से नहीं लगा सकते।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर लास्ट इयर कहीं काइन्ड रेट में वसूल हो गई तो naturally he cannot go beyond that. I can say, of course, that so far as that power is concerned, he has the discretion and that discretion has to be exercised by him.

**श्री तनसिंह** : सेटलमेंट जिस समय शुरू होता है और आप जो दलील दे रहे हैं, मैं उसमे एग्री कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं लेकिन उसमें देरी लग जाय, एक साल की देरी लग जाय, दो साल की देरी लग जाये। मैं निवेदन करूं कि जिस समय सेटलमेंट ऑपरेशन शुरू होते हैं, तो उसके पहले के पीरियड का सवाल नहीं रहता। पीछे की पीरियड का तो रियलाइज कर लिया है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप उस दिन से कह सकते हैं जिस दिन से सेटलमेंट आपरेशन शुरू होते हैं, ऐसे सेटलमेंट ऑपरेशन की पहली तारीख से आप रियलाइज कर सकते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सेटलमेंट आपरेशन शुरू होता है तो गजट नॉटीफिकेशन होता है, that is all, otherwise the jurisdiction of the Settlement Department does not extend to that area as long as such a Notification is not issued. उस एरिया में जिस तारीख से सेटलमेंट ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जिस दिन गजट नोटीफिकेशन हो जाता है उस डेट से एप्लाई कर सकते हैं। एक गलत फहमी हो रही है ........

**श्री तनसिंह** : सेटलमेंट के पहले तो लागू नहीं होगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सेटलमेंट कमिश्नर हैं वे लगा सकते हैं। हम सेटलमेंट ऑफिसर को यह पॉवर दे रहे हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशन की डेट से कर सकता है। Now Settlement operations can take place 2 or 3 years or more, but ordinarily there is not a single case in which Settlement officer has given settlement rates retrospectively for more than one season or more. जिस दिन से लागू नहीं है, उस दिन से लागू नहीं हो सकता है। जिस दिन से सेटलमेंट लागू हो जायगा, उस दिन से यह लागू हो जाता है। इसके पहले से लेने का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसी सर्कम्सटान्सेज़ आ सकती हैं, जिनकी वजह से कोई कन्फ्युज़न हो जाय; जैसे अगर केश रेन्ट से वसूल कर लिया है और हाईकोर्ट में फैसला हो जाय, say, they were not properly calculated according to law and therefore they are quashed. तो ऐसे केस के अन्दर दुबारा केश रेन्ट को केलकुलेट करना पड़ेगा और दुबारा केलकुलेट करने के बाद उसे नोटीफाइड डेट से एप्लाई करना पड़ेगा, otherwise there will be endless litigation between the jagirdar or the land-holder or State even, because one will demand rent in kind and the other must have paid cash rent.

इसलिये इन तमाम बातों को मीट करने के लिए यह प्रोविज़न रखा है, इसलिये नहीं रखा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है कि सेटलमेंट ऑफीसर क्लेम कर दें और जागीरदारों के हक को मारा जाय और जो है, that is not the case-

यह केस तो ऐसा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हुए हैं, and they have fully considered all these points and we are not going beyond this decision.

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष, मुझे एक दुबारा मौका दे दिया जाय इनको कन्विन्स करने के लिये। मैं जो कह रहा हूं उससे मन्त्री महोदय सहमत हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं। या तो मेरा जो अमेंडमेंट है उसकी आपको नकल नहीं मिली है, मैं इस क्लॉज़ को डिलीट करने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि आपने कहा है, सेटलमेंट शुरू हुआ है उस दिन से केश रेट लेगा सकते हैं, चाहे वह किसी दिन खत्म हुआ हो ये शब्द यों हैं, : "Subject to the provision of section 8—A,.the cash rent determined by order of the Settlement Officer under Section 9 shall be payable from the date of the commencement of the settlement under this Act unless the Settlement Officer thinks fit, for any reason, to direct that it shall be payable from some earlier date."

बिलकुल ठीक है, यह तो आपकी दलील में साफ़ आता है, पर आपने आगे लिख दिया है :

"from some earlier date" that means with retrospective effect.

जिस दिन सैटलमेंट ऑपरेशन्स शुरू होते हैं उसी दिन से अर्लियर केश रेन्ट शुरू होता हैं। यह भाषा साफ है इस पर गौर कर लीजिये। वैसे आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं और मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अभी देख लेता हूं .......

**श्री अध्यक्ष** : We can hold it back for a few minutes. You can take the next.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I will just...

**श्री अध्यक्ष** : We can go to the next Bill. We can hold that back for 15 minutes.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Only one minute, Sir, I will have to look to the Land Revenue Act only.

**श्री अध्यक्ष** : We can go to the next Bill in the meantime.

(विधेयक पर खण्डशः विचार स्थगित हुआ)

**१.५५ म० प०**

## राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार—विमर्श एवं पारित)

**श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)**: माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेंडमेन्ट)' विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री): माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१.५६ म० प०

## राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १९५८

(पुनः खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

खंड ४ (खंड ६ ए जोड़ना)

**श्री दामोदरलाल व्यास**: अब मैं इसको ले लूं। माननीय सदस्य को एक गलतफहमी इसमें यह हो रही है, उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। क्लॉज़ ४ में आपका मतलब यह है कि Rent can be payable from an earlier date, a date earlier than the commencement of the settlement under this Act. Commencement of settlement and commencement of settlement operations are two different things.

तो कमेंसमेंट ऑफ सेटलमेंट और कमेंसमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑपरेशन्स बराबर...

**श्री तनसिंह**: बस, हो गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास**: बस हो गया।

**श्री तनसिंह**: जी हां। कमेंसमेंट में और ऑपरेशन में, यही था।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: कान पकड़ो।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ५ (नई धारा १४ ए जोड़ना)

क्लॉज़ ५.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ६ (निरसन)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जावे।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १६५८ पारित किया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

१. ५८ म० प०

## राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही वैधकरण (संशोधन) विधेयक, १६५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जागीर डिसीज़न्स एन्ड प्रोसीडिंग्ज़ वेलिडेशन (अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय। इसके लिये मैं दो शब्द माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, जिसके लिये यह लाया गया हो। जागीर वेलिडेटिंग एक्ट जो है उससे सक्सेशन का प्रश्न है, रिजम्प्शन के बाद ही वैसे तो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, पर्सनल लॉ से कैसे होगा? This law, so far as Jagir Decisions Act is concerned it has absolutely nothing to do with these cases. कुछ पॉवर जागीर कमिश्नर को दिये हैं, वह भी कर सकता है ...

(बाधा के पश्चात्)

मैंने रिज़म्प्शन के बाद के केसेज़ के लिये अर्ज किया। सवाल यह है कि कोवेनेटिंग स्टेट्स में अलग अलग कानून सक्सेशन के लिये थे, वे कानून अब भी हैं, जागीर, उदक, इनाम, तनख्वाह की जितनी स्टेट ग्रान्ट्स हैं, उनका अब भी उन्हीं पुरानों के माफिक तय होता है, उन्हीं के मुतल्लिक यह बिल है। किसी रियासत का कानून है, एडोप्शन उसी वक्त स्वीकार किया जायगा कि, किसी साधु के लिये यह नियम है कि किसी साधु को चेला लेना है : He has to obtain the previous sanction of the State Government or the Ruler.

इसमें रद्दोबदल आज तक नहीं हुआ है। रियासतों का इन्टीग्रेशन हुआ तो राजस्थान सरकार से मंजूरी होती रही। राजस्थान जागीर डिसीज़न्स एन्ड प्रोसिडिंग्स (वेलिडेशन) एक्ट निकला तो कहीं कलेक्टर्स से अडोप्शन होने लगे, तो अमेंडमेंट निकाला....all adoption cases should invariably go to the Board of Revenue.

दांता-रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया यह फैक्ट है कि इस प्रकार के केसेज़ होते हैं जिनमें यह सवाल

[श्री दामोदरलाल व्यास]

पैदा होता है कि स्टेट ग्रान्ट का अडोप्शन स्वीकार किया जाय या नहीं जब कि previous s nction of the State Government is necessary for the purpose of adoption to a State grant.

तो उस सूरत में जो इसके एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, उसमें साफ लिखा है कि :
"The Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Act, 1955, provides, inter alia, a forum for the institution and disposal of casas & proceedings under the laws of the covenanting States provid ing for the resumption of jagirs and the recognition of succession to the rights and titles of jagirdars. Under the aforesaid laws of some of the covenanting States, no adoption could be recognised for the purpose of succession to a State grant, unless the holder had obtained the previous sanction of the Ruler or the State Government to adopt. Doubts having arisen as to whether such sanction would continue to be given by the State Government or it would now be accorded by the Revenue courts, it is necessary to clarify the position."

As I said, Sir, because some complications were noticed, there fore this bill has been brought.

**श्री अध्यक्ष** : पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

र. म० प०

## मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७

(खण्ड शः विचार-विमर्श एवं प्रवर समिति को)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

( श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर )

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलेंगे क्या इस पर इस पर अमेन्डमेंट भी हैं ...बोलिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं थोड़ा सा इसका बैक ग्राउन्ड बता देना चाहता हूं। मेवाड़ में शिशु हितकारिणी सभा थी, which was more or less a Court of wards. जागीरदारों पर कर्जा होता था या कोई नाबालिक जागीरदार होता था तो उसके लिए उसमें व्यवस्था थी, शिशु की जागीर ले ली जाती थी और he was not competent to contract any debt whatsoever. उस पर कर्जा होता था उसका निपटारा करना या उसके लिये डिग्री देना उनका काम था। The civil courts had no jurisdiction whatsoever to decide any of that. उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान बना उस समय जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स थे वे सब रिपील हो गये। मगर उससे इसमें डिफिकल्टी यह हुई की जो डिग्री पहले इस शिशु हितकारिणी सभा द्वारा दी गई थी उसका एग्जिक्युशन कैसे

[श्री दामोदरलाल व्यास]

हो और उसने जो फैसले दिये उसका क्या होगा ? इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोगों को, जिनको डिक्रियें मिली हुई थी वे उन डिक्रियों को एग्जिक्यूट नहीं करा सके और उनको सिविल कोर्ट में किसी प्रकार की रेमेडी नहीं मिल सकती थी। शिशु हितकारणी सभा ने जांच करके अपना निर्णय तो दे दिया कि इतना रुपया देना है और उसकी डिक्री दे दी गई। मगर, प्रश्न यह पैदा होता है कि लोग उन डिक्रियों को किस तरह एग्ज़ीक्यूट करावें। क्योंकि इसके लिये कानून में कोई प्रोविजन नहीं था। इसलिये यह एक प्रकार का वेकुअम रह गया। इसको मिटाना जरूरी था। जब डिक्री एक कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी से पास हुई है और उसके बाद उसकी कोई लिगेलिटी नहीं रही, तो फिर वह किस काम की। इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पेश हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए ?

[स्वीकृत]

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

**खण्ड २ [परिभाषाएं]**

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज २, श्री रामप्रसाद।

**श्री रामप्रसाद** (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें अपना संशोधन रखा है। इसमें मेवाड़ एक्ट की परिभाषा है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Add the following new part (iii) after part (ii) :

'(iii) "Decrees passed by the Sabha" meanes and includes decrees, orders and decisions passed or given by the Mewar Shishu Hitkarini Sabha, Jagir Commissioner or Mehkma Khas, under the Mewar Act,"

इसके बारे में जुडिशियल डिक्री हुई है उससे और इसमें कोई पता नहीं चलता। दोनों ही बराबर हैं। इस एम्बीग्युटी को दूर करने के लिए मैंने यह डेफिनेशन पेश की है कि 'Decrees passed by the Sabha means and includes decrees, orders, awards and decisions passed or given by the Mewar Shishu Hitkarini Sabha, Jagir Commissioner or Mahkma Khas, under the Mewar Act.'

इसमें जैसा कि इस बिल में यूज़ किया वैसे ही है, लेकिन ऑर्डर, एवार्ड्स एण्ड डिसीज़न्स को तरमीम के रूप में पेश किया है। इसलिये पुरानी शिशु हितकारिणी सभा के कानून है, मेवाड़ एक्ट में उनमें शब्द ऑर्डर और फैसले आते हैं। हुक्म और फैसले शब्द आते हैं। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि वहां पर दो तरह का कर्जा होता था। एक तो सरकार की तरफ से महकमों का कर्जा होता था जिसका फैसला महकमा खास करता था और दूसरा प्राइवेट का कर्जा था जिसका ऑर्डर करने का शिशु हित-कारिणी को अधिकार था। इसलिए जो शब्द काम में लिये गये हैं वे महकमा खास के लिए ऑर्डर और शिशु हितकारिणी के लिए फैसला शब्द यूज़ किया है। इसलिये मैंने ये शब्द बढ़ाये हैं। इसके अलावा तीसरी बात एवार्ड की है। राजस्थान हाईकोर्ट के रूलिंग हैं उनको एवार्ड माना है और डिग्री नहीं मानी है। यह माना है कि जो ऑफिसर होता है वह वार्ड का गार्जियन होता है।

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं है और लम्बे अमेन्डमेंट हों तो इसको क्यों नहीं सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का विचार माननीय मन्त्री स्वीकार करें। अच्छा होगा सिलेक्ट कमेटी में इसका निर्णय होकर आ जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बजट सेशन समाप्त होने से पहले इसकी रिपोर्ट आ जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए।

(स्वीकृत)

आप सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की लिस्ट दे दीजिये।

(विराम)

You can give it later. So now we adjourn for tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २ बज कर ७ मिनिट म०प० दिनांक २४ फरवरी, १९५८ के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

## संक्षिप्त विवरण

( शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ )

| | स्कम्भ |
|---|---|
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | १९३९ |
| दैनिक पत्रों के सम्पादकों की आवभगत । | |
| इन्सपेक्टर तथा सहायक इन्सपेक्टर, सहकारी विभाग । | |
| प्रारम्भिक व माध्यमिक पाठशालायें । | |
| प्राध्यमिक पाठशाला । | |
| मुल्तानी मिट्टी साफ करने के कारखाने की स्थापना । | |
| सरकारी विज्ञापन हेतु स्वीकृत समाचार-पत्र । | |
| संचालक, निष्क्रमणक सम्पत्ति, द्वारा स्कूल भवनों की अवाप्ति । | |
| पॉवर हाउस, धौलपुर । | |
| सड़क निर्माण । | |
| संचालक, जन सम्पर्क विभाग द्वारा पुस्तकों का एकाधिकार प्रबन्ध । | |
| कन्या पाठशाला, सीकर । | |
| बोर्ड ऑफ हायर सेकन्डरी एजुकेशन । | |
| पुल निर्माण । | |
| उप शिक्षा निरीक्षक के कर्यालय की स्थापना । | |
| लघु सिंचाई योजना । | |
| जिला झालावाड़ में सूलिया-आहू नदी सड़क निर्माण । | |
| शिक्षा संस्थाओं की कार्य निपुणता । | |
| दीर्घ और लघु सिंचाई कार्य | |
| बस सर्विस (त० आमेर के आगे तक) । | |
| देहाती स्कूलों में ग्रीष्मावकाश | |
| पारबती बांध, धौलपुर । | |
| सरदार समन्द फार्म, जोधपुर । | |
| बांध निर्माण । | |
| सीताबाड़ी (त० शाहबाद) क्षेत्र का विकास । | |
| पाली बहुधंधी सहकारी समिति को ऋण । | |
| माध्यमिक पाठशाला पुस्तकालय । | |
| रूपबास में गन्ने की खेती के सुधार सम्बन्धी योजना । | |
| गोवर्धन हाईस्कूल, नाथद्वारा । | |
| राजस्थान कॉमर्स कॉलेज । | |
| लघु उद्योग । | |
| गंगा थियेटर, बीकानेर | |
| राजबाग (जोधपुर) में गोचर भूमि । | |
| राजनैतिक पीडितों को दी जाने वाली सहायता । | |
| **सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति** | १९८७ |

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

१. श्रीनारायणसिंह मसूदा ...
दिनांक १७-२-५८ से २४-२-५८

२. श्री प्रभुलाल पुरोहित....
दिनांक २१-२-५८

३. श्री नाथूलाल करोल....
दिनांक २१-२-५८

स्कम्भ

**१. राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीरस् (सप्तम् संशोधन) विधेयक, १६५७** १६८८

( विचार विमर्श एवं पारित )

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

**खण्ड २**—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

**नया खण्ड २ ए**—यह नया खण्ड श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, के प्रस्ताव पर जोड़ा गया।

**खण्ड ३**—इस खण्ड पर श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, तथा श्री तनसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किये। श्री तनसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन अस्वीकृत हुआ तथा राजस्व मंत्री का संशोधन स्वीकार किया गया। तदुपरान्त यह खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

**खण्ड ४**—बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

**नया खण्ड ५**—श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने नया खण्ड जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् यह खण्ड विधेयक में जोड़ा गया।

स्कम्भ

**खण्ड १ आदि**—खण्ड १ पर श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् खण्ड १ आदि स्वीकृत हुए। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

**२. राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७** १६६६

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार प्रारम्भ हुआ।

**खण्ड १, नये खण्ड १ एवं १ ए ए**—श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, तथा श्री पी. के. चौधरी ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। वाद-विवाद के पश्चात् श्री चौधरी ने अपना प्रस्ताव जिसके द्वारा वह एक नया खंड १ ए ए जोड़ना चाहते थे, वापिस ले लिया। राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तुत नया खंड १ ए जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् खंड १ व नया खंड १ ए विधेयक के अंगभूत स्वीकार किये गये।

# Page No.68



खण्ड २—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

नये खंड ३ व ४—इन खंडों को जोड़ने के प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने प्रस्तुत किये जो स्वीकार किये गये । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**३. राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १९५८** २०४३

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार प्रारम्भ हुआ ।

खण्ड २—इस खण्ड पर श्री अनूपसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड ३, ४, ५ व ६—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ।

खण्ड १ आदि—स्वीकार किये गये । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**४. राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेन्डमेन्ट) विधेयक, १९५८** २०५५

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**५. राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) (संशोधन) विधेयक, १९५८** २०५८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् यह विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

**६. मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालिनीयत) विधेयक, १९५७** २०६१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री तनसिंह के सुझाव पर उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द इस आदेश के साथ किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन वर्तमान सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करे ।

**सोमवार, दिनांक, २४ फरवरी, १९५८ की कार्य-सूची**

स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के निधन पर श्रद्धांजलियें ।

# शुद्धि-पत्र

( कार्य-विवरण दिनांक २१ फरवरी, १६५८ )

| स्कम्भ संख्या<br>१ | पंक्ति संख्या<br>२ | अशुद्धि<br>३ | शुद्धि<br>४ |
|---|---|---|---|
| १६४६ | अन्तिम से १० वीं | की दरखास्त जरूर आई | की दर्ख्वास्त जरूर आई |
| १६६० | ,, २ री | कहां । एक अस्थाई परमिट | (क) हां ।.एक अस्थाई परमिट |
| १६६१ | २२ | श्री नाथूराम मिर्घा : | श्री नाथूराम मिर्धा : |
| १६६३ | ,, | जाने के संध में | जाने के सम्बन्ध में |
| १६६४ | २६ | Preparing Iime for | preparing Lime for |
| १६६६ | अन्तिम से ३ | वाटे गए, | में बांटे गये |
| १६७२-७३ | शीर्ष | –२० फरवरी, ५८– | –२१ फरवरी, ५८– |
| १६७४ | ३ | to teke over | to take over |
| ,, | १० | prapared to | prepared to |
| १६७४ | अन्तिम से १५ | the Muonicipal Board | tne Municipal board |
| १६८३ | १७-१८ | व्यास ओर संकेत | व्यास की ओर संकेत |
| १६६६-६७ | अन्तिम व प्रथम | substitute 'written 3 months. | substitute 'within 3 months |
| २००३ | १ | काश्तकारों के आनन्द | काश्तकारों के अन्दर, |
| २००४ | अन्तिम | संशोधन बिल रखा | संशोधन बिल में रखा |
| २००६-७ | शीर्ष | –१२ फरवरी, ५८– | –२१ फरवरी, ५८–. |
| २००७ | १० | वापसि ले लिया | वापिस ले लिया |
| ,, | १८ | कि टिनम्सी एक्ट | कि टिनेन्सी एक्ट |
| २०१४ | ११ | words, latter and | words, letter and |
| २०१७ | १ | लेबर है जिनको उन्होंने केनाल ईरिगेशन | लेबर हैं जिनको उन्होंने केनाल इर्रिगेशन |
| २०२१ | ६ | Conncil touches | Council touch |
| ,, | २४ | Carcasse attracts | Carcase attract |
| ,, | २६ | मुर्दे के पास स्कल्पचर | मुर्दे के पास वल्चर |
| २०२२ | २१ | कॉटेन्री आगु्मेंट्स | कॉन्ट्रेरी आगुमेंट्स |
| २०२३ | ७ | हो ओर दूसरी चीज | हो और दूसरी चीज़ |
| २०२४ | ५ | लैंड पर एरिगेशन | लैंड पर इर्रिगेशन |
| २०२४ | १६ | सरकार को मेहनत | सरकार को मेहनत |
| ,, | अन्तिम से ५ | Dont make a Gen- | Don't make a gen- |
| २०२६ | ४-५ | my amene ment | my amendment |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २०३१ | १० | एक तरफ आस कहते हैं | एक तरफ आप कहते हैं |
| २०३४ | ३ | नतीजा थह होगा | नतीजा यह होगा |
| ,, | ५ | वेस्टेड इन्सरेस्ट्स | वेस्टेड इन्टरेस्ट्स |
| ,, | अन्तिम से ५ | इर्रिगेशन प्राजेक्ट्स | इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स |
| २०३६ | २ | श्री पी० के० चौघरी | श्री पी० के० चौधरी : |
| ,, | अन्तिम से ११ | संशोधन स्वीकृत हुआ | वापिस लेने की इजाजत दी गई। |
| २०३७ | अन्तिम से ६ | (ordinance II of 1858) | (ordinance of 1958) |
| ,, | अन्तिम से ५ | क्लॉज़ ३ धिधेयक | क्लॉज़ ३ विधेयक |
| २०३८ | २ | परिशिप्ट में संशोधन) | परिशिष्ट में संशोधन) |
| २०३९ | २३ | amend to Rajasthah | amend the Rajasthan |
| | | (सेकन्ड अमेनमेंट) | (सेकन्ड अमेंडमेंट) |
| २०४२ | अन्तिम से ७ | विर्चार-विमर्श एवं पारित) | विचार-विमर्श एवं स्थगित) |
| २०४३ | ५ | श्री अयक्ष : | श्री अध्यक्ष : |
| ,, | ११ | श्री अनूपसिंह (बलोतरा) | श्री अनूपसिंह (बालोतरा) |
| ,, | १८ | to be inselted | to be inserted |
| ,, | अन्तिम से ६ | aud can pass | and can pass |
| २०४६ | ६ | देंगे मुभाव | देंगे सुझाव |
| २०४७ | ७ | संक्षेप बन्दोबस्त | संक्षिप्त बन्दोबस्त |
| २०५८ | ७ | संक्षिप्त बन्दोबस्त | राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय |
| २०५९-६१ | शीर्ष | विधेयक, ५८ | तथा कार्यवाही वैधकरण (संशोधन) विधेयक, १९५८ |
| २०७१ | १७-१८ | (अनुपालिनीयत) विधेयक | (अनुपालनीयता) विधेयक |